




लखनऊ विकास प्राधिकरण

की बैठक दिनांक 8-10-80

की

कार्य सूची



लखनऊ विकास प्राधिकरण

6, जगदीश चन्द्र बोस मार्ग,

लखनऊ

विषय संख्या: 1

पृष्ठ संख्या: 1

विषय: लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 22-7-1980
के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

====

लखनऊ विकास प्राधिकरण
की बैठक दिनांक 22- 7- 1980 का
कार्यवृत्त पुष्टिकरण हेतु प्रस्तुत
है ।

====:0000:====

X	लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक	X
X	22-7-1980, जो आयुक्त, लखानऊ मण्डल, लखानऊ	X
X	के कार्यालय में हुई का कार्यवृत्त	X
X		X

====:::00000:::====

उपस्थिति :

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री गंगा राम | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं अध्यक्ष लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 2- | श्री बी०जे०खोदायजी | आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश-शासन, आवास एवं पुर्नवास, विधान भवन, लखानऊ । |
| 3- | श्री राधो कृष्णा गुप्ता | प्रशासक, नगर महापालिका, लखानऊ एवं उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 4- | श्री सुरेन्द्र सिंह पाण्डी | उपाध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
| 5- | श्री जयन्ती प्रसाद दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 6- | श्री ओ०पी०विश्वनोई | मुख्य अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जनिकाम, लखानऊ । |

====:::0000:::====

अन्य उपस्थिति:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------------------------|
| 1- | श्री ध्यान सिंह वर्मा | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण । |
|----|-----------------------|-------------------------------|

====:::0000:::====

विषय:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-80 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-80 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

विषय:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-80 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 14-5-80 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या पर त्रिवार त्रिमर्श किया गया तथा निम्न निर्णय लिये गये:-

2:2

प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गार्डलाइन्स तैयार करने हेतु एक उप-समिति गठित करने एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि विषय प्राधिकरण की अगली बैठक में, उपसमिति की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये ।

- 2:3 तालकटोरा रोड स्थित भूखण्ड संख्या-4 की पत्रावली छाने की जाँच की जाने तथा पत्रावली रिकॉन्स्ट्रक्ट किये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि पत्रावली छाने की जाँच एवं पत्रावली का रिकॉन्स्ट्रक्शन 2 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये ।
- 2:4 नजूल के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में जैसे क्लेक्ट्रेट से नवशे एवं अभिलेखा पूर्ण करना । शेष नियुक्तियाँ शीघ्र करना एवं सर्वे आदि के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि नजूल के कार्यों की प्रगति देखाने के लिये एक प्रोफार्मा बनाया जाये तथा उसकी प्रगति बैठक में प्रस्तुत की जाया करे । प्रगति में रिकॉर्ड्स का सही ढंग से बनाया जाना, सर्वे कार्य, अतिक्रमण मालूम करना, न्यायालय में वाद दायर करना इत्यादि शामिल होगा ।
- 2:9 सिन्डर्स डम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दूकानों के आवंटन के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि आवंटन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।
- 2:11 भूखण्ड संख्या:3 मोतीझील साँ मिल योजना के अन्तर्गत आवंटन के सम्बन्ध में शासन के निर्णय तथा विधायक राय के अनुसार उपाध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से मामला निस्तारित करा लिया जाये ।
- 2:14 नवखाल योजना में चिड़िया बाजार के समीप के क्षेत्र को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि ट्रेफिक नियमित करने के लिये जो उप-समिति बनी है उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाये तथा उस कमेटी से यह भी रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर ली जाये कि चिड़िया बाजार के समीप के क्षेत्र को अर्जित से मुक्त किया जाये अथवा नहीं ।
- 2:16 लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर केटिल कालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में गाडउलाइन्स पर कार्यवाही के निर्देश के सम्बन्ध में ।
निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर स्थित 600 एकड़ जंगल की भूमि में से 20 एकड़ भूमि केटिल कालोनी हेतु तुरन्त विकसित की जाये । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया गया कि प्रति सप्ताह केटिल कालोनी की स्थापना एवं विकास के सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रगति का रिब्यू किया जाये ।

:: 3 ::

सम्बन्धित परा सुविधियों को कैंटिन कालोनी में जाने के लिये परसुवेक किया जाये एवं उन्हे सुविधाओं में अकमत कराया जाये । दुग्धा कलेक्शन केन्द्र आदि भी बनाये जायें । विभिन्न विभागों के सम्बन्धित प्रतिनिधियों की बैठक बुलाकर शीघ्र इस प्रोग्राम को क्रियान्वित किया जाये । कृषि उत्पादन आयुक्त के साथ हुई बैठक की कार्यवाही को भी ध्यान में रखा जाये ।

उक्त कालोनी की शीघ्र स्थापना हेतु एक कमेटी कमेटी का भी गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक तथा सदस्य सचिव, विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर नियोजक, विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण एवं सम्पत्ति अधिकारी, विकास प्राधिकरण होंगे । यह कमेटी कैंटिन कालोनी की शीघ्र स्थापना हेतु कार्यवाही करेगी ।

4:1 ट्रांसपोर्ट नगर के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों के विक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थनापत्रों की सूटनी के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि अज्ञोद की लेन्ड के प्रतिनिधियों को शो-रूम भी एलाट कर दिये जायें तथा अध्यक्ष द्वारा प्रति सप्ताह ट्रांसपोर्ट नगर को शीघ्र बनाने हेतु प्रगति की समीक्षा की जाये । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया जिसमें अन्य सदस्य- उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, मुख्य-अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा अतिरिक्त-जिलाधिकारी, लखनऊ होंगे । यह कमेटी प्रत्येक सप्ताह बैठक करके ट्रांसपोर्ट नगर को शीघ्र बनाने का प्रयास करेगी ।

पूर्व विषय स०:3 बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विरुद्ध प्रगति आख्या ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि कानपुर विकास प्राधिकरण से भी प्रोफार्मा में लिया जाये ।

पूर्व विषय स०:4 लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव: निर्णय लिया गया कि प्रशासकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से आदेश प्राप्त कर लिये जायें । अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश प्राधिकरण के आदेश समझे जायेंगे ।

:: 4 ::

- पूर्व विषय संख्या:6 लक्ष्मण टीले के पीछे लखानऊ विद्या प्राध्यापक के अतिथि गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।
 पारित प्रस्ताव: प्राध्यापक का प्रत्येक व अतिथि गृह हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।
- पूर्व विषय संख्या:8 लखानऊ नगर में रेन बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में ।
 पारित प्रस्ताव: रेन बसेरा स्थापित करने हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।
- विषय संख्या:9 {पूर्व} विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन डालने से छूट देने सम्बन्ध में ।
 पारित प्रस्ताव: नगर अभियन्ता {भावन} द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट जो स्थल की जाँच के पश्चात् प्रस्तुत की गई है, देखी गई । उक्त रिपोर्ट में नगर अभियन्ता {भावन} ने विष्णुपुरी कालोनी की सीवर को आवास विकास परिषद की सीवर लाइन से जोड़ने में दोनों के लेवल में अन्तर होने के कारण सम्भव नहीं है, ऐसा सूचित किया है और उपरोक्त परिपेक्ष्य में सीवर लाइन से छूट देने का पुनः अनुरोध किया तथा प्रत्येक प्लाट होल्डर्स को अपने प्लाट में सेप्टिक टैंक बनाने की अनुमति प्रदान करने का सुझाव रखा । इस विषय पर वातावरण सभ्य मुख्य अभियन्ता, जल निगम ने इस प्रकार से सेप्टिक टैंकों से वातावरण में कुछ ख़तरा की जाने की बात कही । उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि दोनों कालोनियों की पूर्ण स्थिति के साथ यह विषय मुख्य अभियन्ता जलनिगम को दिखाना दिया जाये । यदि वह सहमति प्रदान करें तो अन्य कोई विकल्प न होने के कारण सीवर में छूट प्रदान कर दी जाये परन्तु प्रत्येक प्लाट-होल्डर्स से एक शपथ-पत्र ले लिया जाये कि जब भी उस क्षेत्र में सीवर डाला जायेगा तो वे प्रोपोरशनैट कोस्ट वहन करेंगे ।
- पूर्व विषय संख्या:10 कोजापरेटिव सोसाइटीज एवं कोलोनाइज़र द्वारा प्लान पर तकनीकी रूप से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् विकास कार्य हेतु एग्रीमेंट न करने तथा विकास-व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार ।
 पारित प्रस्ताव : यह विषय पुनः उठा कि मूल रूप से इस प्रकार की कालोनियों में जिनका से-प्लाट प्लान सोसाइटी/कोलोनाइज़र द्वारा जमा करने पर तकनीकी रूप से

:: 5 ::

जही पाये गये परन्तु कालोनाइजर/सोसाइटी ने ऐग्रीमेन्ट नहीं किया और विकास भी तदनुसार नहीं किये तथा प्लॉटों को व्यक्तियों को देव दिया और अब प्लॉटहोल्डर्स अपने आवास कार्य हेतु स्वीकृति के लिये प्रायः दबाव डालते रहते हैं। यद्यपि नियमानुसार इसकी अनुमति नहीं प्रदान करनी चाहिये परन्तु ऐसी स्थिति में जहाँ पर इस प्रकार के प्लॉट बन चुके हैं और कालोनाइजर/सोसाइटी ने तकनीकी रूप से प्लान स्वीकृत कराकर बिना प्राधिकरण की अनुमति के कुछ विकास भी कर लिया है एवं कुछ अन्य विकास अभी भी शोधा हैं। इस प्रकार से पूर्व जाँची और जही पाई गई कालोनियों में प्रत्येक प्लॉट होल्डर्स से अनुमानित विकास व्यय जो आन्तरिक विकास के लिये होगा तथा अनुमानित बाह्य विकास व्यय जो बाह्य सुविधाएँ कालोनी तक पहुँचाने के लिये व्यय हों, प्राप्त कर प्लान पास करने के लिये कार्यवाही की जाये। कानपुर विकास प्राधिकरण ने आन्तरिक विकास व्यय एवं बाह्य विकास व्यय को निहालने के लिये एक सिधदान्त भी प्रतिपादित किया हुआ है। लखनऊ विकास प्राधिकरण भी विकास व्यय निहालने में कानपुर विकास प्राधिकरण की इस पध्दति का अनुकरण करते हुए कार्य करे।

विषय स०:३ बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विस्तृत प्रगति आख्या।

प्रारित प्रस्ताव

लखनऊ विकास प्राधिकरण के आय व्यय की समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि आय-व्यय का त्रैमासिक लक्ष्य निम्न रूप से निर्धारित किया जाये:-

त्रैमास का नाम	आय का लक्ष्य	व्यय का लक्ष्य
प्रथम त्रैमास	20 प्रतिशत	15 प्रतिशत
द्वितीय त्रैमास	30 प्रतिशत	25 प्रतिशत
तृतीय त्रैमास	25 प्रतिशत	35 प्रतिशत
चतुर्थ त्रैमास	25 प्रतिशत	25 प्रतिशत

यह भी निर्णय लिया गया कि बार-वार्ट्स के रूप में भी प्रगति बनाई जाये। इसका प्रारूप कानपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जाये।

विषय स०:४ लखनऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को भावन निर्माण/भूमि क्रय के लिये स्वीकृत अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि नगरमहापालिका

:: 6 ::

लकनऊ में नानकारी प्राप्त की जाये कि वहाँ के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार निवारण एवं भूमि कृय करने के लिये अग्रिम किस प्रकार एवं किन शर्तों के साथ स्वीकार एवं भुगतान हो रहा है।

विषय संख्या:5

अप्रतिबिधाक अधिकाचारियों/कर्मचारियों को स्नात्कोत्तर भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

विषय संख्या:6

2 कास्ट असिस्टेंट के पद वेतनमान 350-700 प्लस अनुमान्य भत्ते में सृजित करने के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त असिस्टेंट कास्ट एकाउन्टेन्ट के दो पद रु० 300-500 के वेतन मान में सृजित किये गये। यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों पर केवल उन्ही अभ्यर्थियों का चयन किया जाये जो कम से कम बी०काम सेन्ड डिप्लोम हो तथा कांफिश्ियल एकाउन्टेन्सी में एवं कास्ट एनालिसिस का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों। यह भी निर्णय लिया गया कि इन पदों का सृजन इस शर्त के साथ किया जाता है कि आगामी वर्ष विकास प्राधिकरण लेखा की वाणिज्य प्रणाली एडाप्ट कर लेगा।

विषय संख्या:7

भूमि अर्जन एवं विकास छाण्ड के अधिशासी अभियन्ता के रिक्त पद पर श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता, उ०प्र०पालिका के न्यूनतम सेवा के सहायक अभियन्ता कार्यरत विकास प्राधिकरण की तदर्थ नियुक्ति।

पारित प्रस्ताव:

सर्कुलर द्वारा पारित प्रस्ताव का अकबोतन किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या:8

अमीरुद्दौला इस्लामिया इन्टर कॉलेज का व्यापारिक निर्माण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त इस्लामिया इन्टर कॉलेज के व्यापारिक भू-उपयोग के सम्बन्ध में उक्त विद्यालय के प्रबन्धक का प्रत्यावेदन अनुमोदित किया गया। तथा निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की यह संस्तुति शासन को भोज दी जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त विद्यालय में भू-तल पर बने कमरों का प्रयोग दूकानों के रूप में नहीं किया जायेगा। शासन को तद्दानुसार संस्तुति भोज दी जाये।

:: 7 ::

विषय संख्या: 9

मास्टर प्लान की कक्षा के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि महायोजना के सम्बन्ध में उठाई गई शर्काएँ समाप्त समझी जायें । चूंकि महायोजना वैध है, अतः तदनुसार ही कार्यवाही की जाये ।

विषय संख्या: 10

लखनऊ नगर का मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण करने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

क्वितार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि लखनऊ नगर का मानचित्र तैयार कराने के लिये सर्वे आफ इन्डिया से शर्काएँ सर्वे कराया जाये तथा प्लान का स्केल 1:5,000 रखा जाये । इसके लिये सर्वे आफ इन्डिया से रेट शर्काएँ प्राप्त करके सर्वे का कार्य शर्काएँ प्रारम्भ करा दिया जाये । सर्वे आफ इन्डिया द्वारा दिये गये रेट की स्वीकृति उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण स्वयं प्रदान कर दें ।

विषय संख्या: 11

फैजाबाद रोड स्थित मेन्स मोहन ऐण्ड को० की अशोका गार्डन कालोनी में भावन चित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करना ।

पारित प्रस्ताव:

प्राधिकरण की प्रगति आख्या के आइटम सं० 10 पर भी लगभग इसी प्रकार का विषय प्रस्तुत किया गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि कालोनाइज़र बिना कालोनियों का पूर्ण विकास किये तथा विकास का ऐग्रीमेन्ट अनुबन्धित किये हुए प्लानों का देव कर अपना कार्य समाप्त समझ लेते हैं और जनता को इस प्रकार की कालोनियों में प्राधिकरण द्वारा प्लान न पास करने तथा कालोनाइज़र द्वारा विकास पूर्ण न करने के कारण प्रायः काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । ऐसी परिस्थिति में कुछ विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है ।

1-

उपरोक्त परिपेक्ष्य में निर्णय लिया गया कि लखनऊ विकास क्षेत्र में जो भी भू-विभाजन किया जाये उसकी स्वीकृति विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त करने के पश्चात् ही सब-रजिस्टार द्वारा उसकी रजिस्ट्री की जानी चाहिये । इसके लिये यदि आवश्यक हो तो शासन से जिशोखा आग्रह किया जाये कि इस सम्बन्ध में शासन तुरन्त आदेश जारी करे ।

:: 8 ::

2- जो कालोनियाँ पूर्व में उद्योग विकसित रूप से आ चुकी हैं और जिनमें भूमि-विभाजन वर कालोनाइज़र ने अपने प्लॉटों को बिना सम्पूर्ण सुविधाओं में युक्त किये, प्लॉट होल्डर्स को देव दिया है। इन विषयों में प्लॉट क्रय करने वालों की गलती को कम मानते हुए तथा विकास की गति में अवरोध न उत्पन्न हो इसलिये ऐसी कालोनियों जिन्का कुछ विकास जैसे आवागमन के साधन, पानी का विकास, बिजली व पानी की सुविधाएँ आदि कालोनाइज़र अन्य विकास करने को अब तैयार न हों लेकिन उक्त विकास का कोई धान भी कालोनाइज़र ने प्लॉट होल्डर्स से न लिया हो। ऐसी स्थिति में यदि प्लॉट होल्डर्स स्वयं उक्त विकास तथा आन्तरिक विकास दोनों के आधार पर लिया जायेगा, देने को तैयार हो तो प्लान स्वीकृति की कार्यवाही की जाये।

इस प्रक्रिया को अपनाने से पूर्व कालोनाइज़र को एक बार पुनः उक्त विकास कार्य करने हेतु सूचित किया जाये। यदि सूचना दिये जाने के पश्चात् भी कालोनाइज़र द्वारा विकास कार्य नहीं कराये जाते हैं तो नियम के अन्तर्गत जो भी दण्डात्मक प्रावधान हैं उसे कालोनाइज़र पर अलग से लगाया जाये, परन्तु प्लान स्वीकृति की प्रक्रिया उपरोक्त में उताये गये आधारों के परिपेक्ष्य में प्रारम्भ कर दी जाये।

विषय संख्या: 12

बिल्डिंग बाइलाज़ सब कमेटी द्वारा तैयार किये गये बिल्डिंग बाइलाज़ का अनुपालन एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नियम तथा उप-विधायी।

पारित प्रस्ताव

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तुत बिल्डिंग बाइलाज़ को एक बार पुनः देखा लिया जाये कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसके लिये एक सब-कमेटी जिसे सदस्य उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं वरिष्ठ नगर-नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण नामांकित किये गये। गठित की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त कमेटी आगामी बैठक में बिल्डिंग बाइलाज़ के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अवश्य दे।

क्रमशः----- 9

:: 9 ::

- विषय संख्या: 13 सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या के घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय योजना की कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या से घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है । तदनुसार शासन को उक्त संस्तुति भेजकर स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।
- विषय संख्या: 14 सेक्टर "एम" अलीगंज आवासीय योजना की कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या के घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि सेक्टर "एम" अलीगंज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या से घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में संस्तुति की जाती है । तदनुसार शासन को उक्त संस्तुति भेजकर स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।
- विषय संख्या: 15 आवास विकास परिषद की ताकतौरा रोड योजना के औद्योगिक क्षेत्र का भू-उपयोग बदलने के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव: विषय स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के मामले में सम्बन्धित भूमि जो इस विषय से सम्बन्धित है, का सर्वेक्षण करा किया जाये । तथा आगामी बैठक में सर्वेक्षण रिपोर्ट के साथ आख्या प्रस्तुत की जाये । आगामी बैठक में सम्मिलित होने के लिये आवास आयुक्त को विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाये ।
- विषय संख्या: 16 अलीगंज मार्ग एन नगर पुरान योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी की तथाकथित भूमि के सम्बन्ध में ।
- पारित प्रस्ताव: विचार-विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले का पुनः परीक्षण किया जाये तथा यह पता लगाया जाये कि इस क्लेस को तथा अन्य क्लेस को प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया है । अलकापुरी का क्लेस भी इस सम्बन्ध में देखा लिया जाये । सन्दर्भित भूमि का मुआवजा दिया गया है या नहीं । यह भी भली भाँति देखा लिया जाये । सम्स्त तथ्यों के साथ रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

:: 10 ::

विषय संख्या: 17

नवविकास योजना में विडिया बाजार के समीप के कुछ क्षेत्र को अर्जन से मुक्त एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में भावन-चित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पालिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि ट्राफिक ऐन्वाइज़री कमेटी सम्बन्धित क्षेत्र को देखाकर अपनी रिपोर्ट दे कि सम्बन्धित क्षेत्र अर्जन से मुक्त किया जाये अथवा नहीं । यह भी निर्णय लिया गया कि भाविष्य में भूमि अध्याप्त सम्बन्धी मामलों में लेन्ड - ऐन्वोज़ेशन ऐक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत जब नोटीफिकेशन हो जाये तो सम्बन्धित स्थान के लिये कोई भी भावन चित्र स्वीकृत न किया जाये ।

विषय संख्या: 18

शहर के मध्य बटनर गॅज स्लीम के भूखण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन ।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि उक्त भूखण्डों की अर्जन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये क्योंकि अब इन भूखण्डों के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण को कोई कार्यवाही नहीं करनी है ।

विषय संख्या: 19

श्री हरीश रस्तोगी, मासिक पेंशनर, के प्राथमिक-पत्र दिनांक 29-7-79 तथा 13-5-1980 जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि परोक्षी नायडू पार्क में उनसे लदाया धानराशि को जमा कराकर व उनके विशुद्ध दायर वेदछाली के मुद्दों को उठाकर लाइसेन्स पुनः रिस्टोर कर दिया जाये, पर विचार ।

पारित प्रस्ताव:

विषय स्थागित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मामले का पुनः परीक्षा करके पुनः प्रस्तुत किया जाये ।

विषय संख्या: 20

आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइज़ेशन को अलीगंज नगर एवं सड़क प्रसार योजना फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि तथा आनपुर रोड योजना में 50 एकड़ भूमि की आवंटन ।

पारित प्रस्ताव:

कमिश्नर द्वारा पारित प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा अनुमोदित किया गया । अधिकारी ने सूचित किया कि उक्त बोर्ड को अलीगंज योजना के फेज़-2 में 5 एकड़ भूमि रु० 5-00 प्रति वर्ग फुट की दर से दी गई है ।

क्रमशः----॥

:: || ::

विषय संख्या: 21

अलीगंज योजना में लीज़रेन्ट के निर्धारण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या-5 पर हुए निर्धारणानुसार मकत उष-समिति की रिपोर्ट पर विचार ।

पारित प्रस्ताव:

विवारोपरान्त निर्णय लिया गया कि भूमि का लीज़रेन्ट निम्न प्रकार से लिया जाये :-

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1- प्रथम तीस वर्ष | प्रीमियम का एक प्रतिशत |
| 2- द्वितीय तीस वर्ष | प्रीमियम का डेढ़ प्रतिशत |
| 3- तृतीय तीस वर्ष | प्रीमियम का सवा दो प्रतिशत |

सचिव ने बताया कि उच्च आय वर्ग के भावनों के लिये लीज़रेन्ट प्रीमियम का तीन प्रतिशत लिया जाता है । निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त कर ली जाये कि सामान्य परिस्थितियों में जबकि लीज़रेन्ट प्रीमियम का एक प्रतिशत लिया जाता है तो उच्च आय वर्गीय भावनों के लिये तीन प्रतिशत लीज़रेन्ट लिया जाना वानूनी रूप से वहाँ तक सही है ।

विषय संख्या: 22

राम किशन मिश्रान को आवंटित भाड़ाण्ड संख्या-बी-81 बी-82/1, बी-82/2, स्थिति टी0जी0नार्थ चाँदोज योजना के लीज़होल्ड राइट्स को समाप्त करने राम कृष्ण कठ को लीज़ पर पट्टा देने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि राम-कृष्ण मठ से सम्बन्धित ट्रस्ट डीड शीट्टू मंगा ली जाये तथा मामले को पुनः इन्कॉर्पोरेट कर लिया जाये तथा मामले पर विधिक राय भी ले ली जाये ।

विषय संख्या: 23

श्री जी0एम0अप्रवाल को आवंटित भाड़ाण्ड संख्या-बी-49 स्थित सेक्टर "जे" को बदलने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण इस विषय में अपने स्तर पर निर्णय ले लें ।

विषय संख्या: 24

लखनऊ विकास प्राधिकरण के लिये उद्यान अधीक्षक का पद वेतनमान रु 550-1200 में सृजने एवं श्री जे0पी0गुप्ता उद्यान अधीक्षक की नियुक्ति ।

पारित प्रस्ताव:

विवार विमर्श उपरान्त विकास प्राधिकरण में उद्यान-अधीक्षक का एक पद वेतनमान रूपसा 550-1200 में सृजित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि उक्त पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0ए0जी0 होनी चाहिये । तथा हार्टिकल्चर में शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभागों/स्वायत्त शासन/शासन के नियमों अथवा विकास प्राधिकरण में कार्य करने का कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिये ।

:: 12 ::

विषय संख्या: 25

अलीगंज आवास योजना में विकास प्राधिकरण, नगर महामण्डल का कर्मचारियों द्वारा अनाधिकृत कृब्जा लेने के विषय में ।

पारित प्रस्ताव:

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों द्वारा इस प्रकार अनाधिकृत कृब्जा लेने के विषय में उच्च स्तरीय जांच ली जाये । इस इन कर्मचारियों के विरुद्ध वैभाषिक कार्यवाही की जाये तथा सभी कर्मचारियों से शहीद रेन्ट वसूल किया जाये । उक्त कर्मचारियों को उक्त भावन आविन्तित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।

विषय संख्या: 26

सिविल अस्पताल के लिये 5 एकड़ क्षेत्र ट्रान्स गोमती क्षेत्र में तथा 5 एकड़ कानपुर रोड पर आलमबाग की ओर लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क भूमि प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव :

विचार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा ट्रान्स गोमती क्षेत्र में तथा आलमबाग की ओर कानपुर रोड पर सिविल अस्पताल के लिये 5-5 एकड़ निःशुल्क भूमि विक्रित्वा विभाग को देना सम्भव नहीं है । यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर नो-प्राफिट नो-लास बेसिस पर उपलब्ध कराई जा सकती है । उदानुसार शासन को सूचित कर दिया जाये ।

विषय संख्या: 27

लखानऊ विकास प्राधिकरण में पिछले तीन वर्षों में कार्यरत कृष्ण श्रेणी कर्मचारियों के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित निम्नलिखित पद सृजित किये जाते हैं :-

1- गैंग मैन	भावन विभाग में	3	वेतनमान 165-215
2- भेट	छाण्ड- 3 हेतु	1	वेतनमान 168-218
3- इलेक्ट्रीशियन	फव्वारा पार्क	1	वेतनमान 172-226
4- पम्प आफरेटर	शाहीद पार्क	1	वेतनमान 168-218
पम्प आफरेटर	फव्वारा पार्क	1	वेतनमान 168-218
5- माली	शाहीद स्मारक	10	वेतनमान 165-215
माली	बेगम हज़रतमहल	5	वेतनमान 165-215
माली	लिम्बे सेन्टर के सामने	6	वेतनमान 165-215
माली	अलीगंज	10	वेतनमान 165-215

वर्कवार्ज के व्यक्तियों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक उप-समिति जिसमें सचिव, विकास प्राधिकरण, मुख्य अभियन्ता, विकास प्राधिकरण तथा मुख्य लेखाधिकारी, विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे, गठित की जाती है । यह उप-समिति यह बतायेगी कि वर्कवार्ज प्रथा किस प्रकार समाप्त की जा सकती है । उक्त उप-समिति की रिपोर्ट प्राधिकरण की अगामी बैठक

:: 13 ::

में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या:28 अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना में विद्यालयों को भूमि आवंटन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

त्रिवार विमर्श उपरान्त निर्णय लिया गया कि चेतना सोसाइटी, निरालानगर, लखानऊ को अलीगंज सड़क एवं नगर विस्तार योजना के सेक्टर "सी" में 59552 वर्गफुट भूमि जो विद्यालयों के लिये आरक्षित है, आवंटित की जाती है । उक्त भूमि की दर प्लॉटेड एरिया रेट का 50% होगी ।

यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बन्धित संस्था विद्यालयों को भूमि आवंटन हेतु गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 19-7-80 की कार्यवाही में उल्लिखित शर्तें भी पूर्ण करें जो निम्न प्रकार हैं :-

- I- भवन निर्माण की कुल अनुमानित लागत का 25% धान विद्यालय में जमा छाते में हो ।
- II- संस्था द्वारा नियमानुसार लीज़रेंट देय होगा ।
- III- संस्था विद्यालय भवन का नक्शा लखानऊ विकास प्राधिकरण द्वारा पारित कराये ।
- IV- संस्था के बोनाफाइडीज़ तथा उनके पदाधिकारियों के ऐन्टीसीडेन्स के बारे में जिलाधिकारी से और शोधक संस्था के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक से यह भी पुष्टि करानी होगी कि भूमि का दुरुपयोग की सम्भावना तो नहीं है ।
- V- संस्थाओं द्वारा भूमि प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप § 3 प्रतियों में एक प्रार्थनापत्र दिया जायेगा ।
- VI- प्रस्तावित निर्माण संस्था द्वारा दो वर्गों में पूरा करना आवश्यक होगा ।
- VII- संस्था द्वारा आवंटित भूमि केवल विद्यालयों के ही प्रयोग में लाई जाये ।
- VIII- संस्था उक्त आवंटित भूमि किसी भी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था को हस्तान्त्रित नहीं करेगी ।
- IX - उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूमि प्राधिकरण में वेस्ट कर दी जायेगी । इसके लिये सम्बन्धित संस्था को कोई मुआवज़ा अथवा हर्जे खार्च देय नहीं होंगे ।

दृ मशः-----14

:: 14 ::

उप समिति द्वारा 4 अन्य विद्यालयों के लिये भी संस्तुति की गई थी जिसपर निर्णय लिया गया कि अन्य चार संस्तुति किये गये विद्यालयों के मामलों को पुनः इकजांमिन कर लिया जाये जिसके लिये एक उप-समिति गठित की जाती है जिसके सदस्य उपाध्यक्षा, विकास प्राध्या-
करण, जिलाधिकारी, लखनऊ तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ होंगे।

यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त समिति की रिपोर्ट विकास प्राध्याकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

विषय संख्या: 29 श्री भार्गव द्वारा दृष्ट किये गये भूछाण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट का आवेदन।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि शासनदेश संख्या-1972/37-3-2-पी0ए0/74, दिनांक 2-4-80 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये तथा श्री एस0के0 भार्गव ने सन् 1977 में उक्त भूछाण्ड की जो कोली लगाई थी उसकी 50 प्रतिशत दर पर उक्त भूछाण्ड निराला सेवा-शिक्षा संस्थान का आवेदित कर दिया जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि विद्यालयों को भूमि आवेदित किये जाने की अन्य शर्तें विषय संख्या-28 में उद्धृत शर्तों के समान ही इस विषय में भी लागू होंगी।

विषय संख्या: 30

अलीगंज योजना में आवेदित भूछाण्डों के प्रीमियम की दरों एवं उनके भूगतान के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विषय स्थगित किया गया।

उपाध्यक्षा महोदय की अनुमति से अन्य विषय

विषय संख्या : 31 विकास प्राध्याकरण में नजूल अधिकारी के पद के पृथक के सम्बन्ध में।

पारित प्रस्ताव:

विकास प्राध्याकरण की बैठक दिनांक 4-7-79 के प्रस्ताव संख्या- 6 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया था:-

"" उप समिति की सिफरिशों से सहमत प्रकट की गई। नजूल की सम्पत्ति के मैनेजमेन्ट की स्थिति काफी गम्भीर है जिसके बारे में विन्ता प्रकट की गई, उपाध्यक्षा विकास प्राध्याकरण की ओर से अतिरिक्त आवश्यक स्टाफ की नियुक्ति करके नजूल प्रापर्टी के सर्वे का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करा दें तथा शासन को तदनुसार सूचित कर दें। ""

उपरोक्तानुसार प्राध्याकरण में अतक

:: 15 ::

निम्नलिखित स्टाफ़ नज़ूल भूमि के प्रवन्ध हेतु नियुक्त किया गया है :-

1-	तहसीलदार	एक
2-	नायब तहसीलदार	एक
3-	कानून गो	एक
4-	प्रधान थैपानी लिपिक	एक
5-	सर्वेयर	गॉय
6-	चपरासी	एक

ऐसा महसूस किया गया है कि उक्त स्टाफ़ एवं नज़ूल के कार्य के सम्पादन की प्रभावी देखा-रेखा हेतु एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाये जिसे राजस्व एवं भूलेखा सम्बन्धी अनुभव प्राप्त हो ।

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में नज़ूल अधिकारी का एक पद सृजित किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन से एक पी०सी०एस० अधिकारी वेतनमान रु० 800-1450 में प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में अतिरिष्ट नियुक्ति करने हेतु निवेदन कर दिया जाये ।

ह० ध्यान सिंह वर्मा

॥ ध्यान सिंह वर्मा ॥
सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ ।

अनुमोदित

=====

ह० गंगा राम

10-8-50

॥ गंगा राम ॥

आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण, लखनऊ ।

एम/आर ***

विषय सं: 2

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक

पृष्ठ सं: 17

22-7-1980 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या ।

x=x=x=x=y=x=x=x

विषय सं०	विषय	निर्णय	कृत कार्यवाही
2:2	प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं की भूमि छोड़े जाने एवं विस्थापितों हेतु गाइडलाइन्स तैयार करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में उपसमिति की रिपोर्ट के साथ विषय प्रस्तुत किया जाये ।	पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2:3	तालकटोरा रोड स्थित भाखण्ड सं:4 की पत्रावली छानने की जांच की जाने तथा पत्रावली रिवाइन्स्ट्रक्ट किये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि पत्रावली छानने की जांच एवं पत्रावली का रिवाइन्स्ट्रक्शन 2 माह में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये ।	पत्रावली पुनः बनाई जा रही है कुछ रिवाइन्स्ट्रक्शन नहीं हो पा रहे हैं उनकी छानबीन की जा रही है ।
2:4	नजूल की प्रगति के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि प्रगति देखाने के लिये फोफार्म बनाया जाये रिवाइन्स आदि सही ढंग से बनाये जायें ।	प्रगति साथ में सैलमन की जा रही है ।
2:9	सिन्डर्सडम्प योजना के अन्तर्गत निर्मित 38 दुकानों के आवन्तन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि आवन्तन की कार्यवाही शीघ्र की जाये ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
2:11	भाखण्ड संख्या:3 मोती-झील मिल योजना के अन्तर्गत आवन्तन के सम्बन्ध में शासन के निर्णय तथा विधिवत राय के अनुसार उपाध्यक्ष द्वारा अन्तिम निर्णय के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण से मामला निस्तारित करा लिया जाये ।	तदनुसार कार्यवाही की जा रही है ।
2:14	नवखाना योजना में चिड़िया बाजार के समीप के क्षेत्रों को अर्जित करके विकसित करने के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि ट्रैफिक नियमित करने के लिये जो उप-समिति बनी है उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाये तथा यह भी रिपोर्ट ले ली जाये कि उस क्षेत्र को अर्जन से मुक्त किया जाये अथवा नहीं ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
2:16	लखनऊ नगर में कुर्सी रोड पर कैंटिन बालोनी की स्थापना के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि कुर्सी रोड पर स्थिति 600 एकड़ जंगल की भूमि में से 20 एकड़ भूमि कैंटिन बालोनी हेतु तुरन्त क्रियत की जाये एवं अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा प्रगति का रिब्यू किया जाये ।	अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

रुमरा:---

4:1	ट्रान्सपोर्टनगर के अन्तर्गत उपलब्ध भाण्डों के विषय हेतु रीजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थनापत्रों की स्मृति के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि अर्थात् ली. लेन्ड. के प्रतिनिधियों को शां-रुस भी एलाट कर दिये जाये । तथा अध्यक्ष द्वारा प्रति-सप्ताह प्रगति का रिवाज किया जाये । एक कमेटी का गठन किया गया जो प्रति सप्ताह बैठक करके ट्रान्सपोर्टनगर शीघ्र बसाने का प्रयास करेगी ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
पूर्व विषय स0:3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विस्तृत प्रगति आख्या ।	निर्णय लिया गया कि कानपुर विकास प्राधि0 से भी प्रोफार्मा मंगा लिया जाये ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
पूर्व विषय स0:4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को प्रशा-सकीय अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि विस्तृत रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 से आदेश प्राप्त कर लिये जायें । अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश प्राधि-करण के आदेश समझे जायेंगे ।	तदनुसार कार्य-वाही की जा रही है ।
पूर्व विषय स0:6	लक्षमण टीले के पीछे लखनऊ विकास प्रा-धिकरण के अतिथी गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।	प्राधिकरण कार्यालय व अतिथी गृह हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।	स्थल का चयन किया जा रहा है ।
पूर्व विषय स0:8	लखनऊ नगर में रैन-बसेरा स्थापित करने के सम्बन्ध में ।	रैन बसेरा स्थापित करने हेतु शीघ्र स्थल का चयन किया जाये ।	उपयुक्त स्थल का चयन किया जा रहा है ।
पूर्व विषय स0:8	विष्णुपुरी कालोनी में सीवर लाइन डालने से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में ।	निर्णय हुआ कि दोनों कालोनियों की पूर्ण स्थिति के साथ यह विषय मुख्य अभियन्ता जलनिगम को दिखा दिया जाये । यदि वह सहमति प्रदान करें तो सीवर से छूट एक शपथ-पत्र लेकर दे दी जाये ।	तदनुसार कार्य-वाही की जा रही है ।
प0 विषय स0:10	कोआपरेटिव सोसाइटीज एवं कालोनाइजर द्वारा प्लान पर तकनीकी स्वीकृति के बाद विकास कार्य हेतु एग्रीमेंट न करने तथा विकास व्यय न जमा करने के कारण उत्पन्न स्थिति पर विचार ।	निर्णय हुआ कि प्लान-होल्डर्स से अनुमानित वाक्य तथा आन्तरिक विकास व्यय प्राप्त करके प्लान पास करने की कार्यवाही की जाये । कानपुर विकास प्राधि0 ने इस सम्बन्ध में जो नियम बनाये हैं उस पद्धति का अनुसरण करते हुए यहाँ भी कार्यवाही की जाये ।	तदनुसार कार्य-वाही की जा रही है ।

विषय संख्या: 3	बजट में प्रस्तावित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के विस्तृत प्रगति आख्या ।	आय-व्यय की समीक्षा की गई तथा निर्णय लिया गया कि आय-व्यय का प्रमाणिक लक्ष्य निर्धारित किया जाये एवं वार-वार्ट्स के रूप में भी प्रगति बनाई जाये । इसका प्रारूप दानपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त कर लिया जाये ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।
विषय संख्या: 4	लघानऊ विकास प्राधिकरण कर्मचारियों/अधिकारियों को भावन निर्माण/भूमि क्य के लिये स्वीकृत अग्रिम भागतान के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि नगरमहापालिका के नियम इस सम्बन्ध में प्राप्त कर लिये जायें ।	कार्यवाही की जा रही है ।
विषय संख्या: 5	अप्रतिष्ठित अधिकारियों/कर्मचारियों को स्नात्कोत्तर भात्ता दिये जाने के सम्बन्ध में ।	विचार विमर्श उपरान्त प्रस्ताव अस्वीकार किया गया ।	नोट किया गया निर्णय से शासन को अवगत कराया जा रहा है ।
विषय संख्या: 6	2 कास्ट असिस्टेंट के पद के तनमान रु0350-700 प्लस अनुमन्य भात्ते में सजित करने के सम्बन्ध में ।	असिस्टेंट कास्ट एकाउन्टेन्ट के दो पद रु0300-500 में सजित किये गये । इसके लिये शैक्षिक योग्यता कमसे कम बी0काम सेन्ड डिप्लोमा एवं कामशियल एकाउन्टिंग तथा कास्ट एनालिसिस का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव निर्धारित की गई ।	निर्णयानुसार दो असिस्टेंट कास्ट एकाउन्टेन्ट के तनमान रु0 300-500 में नियुक्त कर लिये गये हैं ।
विषय संख्या: 7	श्री सुरेशा चन्द्र गुप्ता सहायक अभि० की नियुक्ति अधिशासी अभि०के पद पर किये जाने के सम्बन्ध में ।	सर्कुलर द्वारा पारित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा अनुमोदित किया गया ।	नोट किया गया ।
विषय संख्या: 8	अमीरुद्दौला इस्लामिया इंटरकोलेज का व्यापारिक निर्माण हेतु भा-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया । निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की यह संस्तिति शासन को भोज दी जाये । यह भी निर्णय हुआ कि भा-तल पर होने कर्मों का प्रयोग दुकानों के रूप में नहीं किया जायेगा ।	तदानुसार शासन को संस्तिति भोज दी गई है ।
विषय संख्या: 9	मास्टर प्लान की वेधता के सम्बन्ध में ।	शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि महायोजना के सम्बन्ध में उठाई गई शर्तिया समाप्त समझी जायें । चूंकि महायोजना वेधा है, अतः तदानुसार कार्यवाही की जाये ।	तदानुसार कार्यवाही हेतु पत्र भोज दिया गया है ।
विषय संख्या: 10	लघानऊ नगर का मानचित्र तैयार करने हेतु सर्वेक्षण की अनुमति के सम्बन्ध में ।	निर्णय लिया गया कि सर्वे आफ इन्डिया से शीघ्र सर्वे कराया जाये । प्लान का स्केल 1:5,000 रखा जाये । रेट उपाध्यक्ष स्वयं स्वीकृत कर दें ।	इस सम्बन्ध में सर्वे आफ इन्डिया के नार्दन सर्किल को व्यानमान जानने हेतु एवं इन्डियन फोटो इन्टा-पिटेशन को पत्र 7-8-80 को भोजा जा चुका है । उपाध्यक्ष/सचिव एवं वरि० न०नि० 12-10-80 को देहरादून जा रहे हैं ।

पृष्ठ संख्या: 20

विषय संख्या: 11	फेजाबाद रोड स्थित मेसर्स मोहन एण्ड को० की अशोका गार्डन कालोनी में भावन चित्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण करना ।	निर्णय हुआ कि भा-विभाजन से पूर्व प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त की जाये । तदुपरान्त सब-रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री की जाये, इसके लिये शासन से विशेष आग्रह किया जाये । यदि प्लान होल्डर्स बचे हुए आन्तरिक एवं बाह्य विकास व्यय देने को तैयार हो तो प्लान की स्वीकृति दे दी जाये । इसके पूर्व कालोनाइजर को पुनः पत्र भेजा जाये । यदि कालोनाइजर इसके उपरान्त भी कार्य नहीं करते तो नियम के अन्तर्गत जो भी दण्डात्मक प्राविधान हो उसे कालोनाइजर पर अलग से लगाया जाये परन्तु प्लान स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाये ।	आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।
विषय संख्या 12	बिल्डिंग बाइलाज सब-कमेटी द्वारा तैयार किये गये बिल्डिंग बाइलाज का अनुपालन एवं प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित नियम तथा उप-विधियाँ ।	निर्णय हुआ कि बिल्डिंग बाइलाज को एक बार पुनः देखा लिया जाये कि उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है । इसके लिये सब-कमेटी का गठन किया गया जो बिल्डिंग बाइलाज के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट अगली बैठक में दे ।	अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है ।
विषय संख्या: 13	सेक्टर "एल" अलीगंज आवासीय कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या के घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।	इस हेतु सँस्तुति की जाती है तदनुसार शासन को उक्त सँस्तुति भोजन स्वीकृत प्राप्त कर ली जाये ।	शासन को पत्र भोज दिया गया है ।
विषय संख्या 14	सेक्टर "एम" अलीगंज आवासीय योजना की कालोनी के द्वितीय चरण में जनसंख्या के घातत्व में छूट देने के सम्बन्ध में ।	इस हेतु सँस्तुति की जाती है । तदनुसार शासन को उक्त सँस्तुति भोजन स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये ।	शासन को पत्र भोज दिया गया है ।
विषय संख्या: 15	आवास विकास परिषद की तालकटोरा रोड योजना के औद्योगिक क्षेत्र का भा-उपयोग बदलने के सम्बन्ध में ।	विषय स्थागित किया गया तथा सर्वेक्षण हेतु निर्देश लिये गये । आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाये । बैठक में सम्मिलित होने के लिये आवास आयुक्त को विशेष रूप से आमन्त्रित किया जाये ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है । आवास-आयुक्त को पत्र भोज दिया गया है ।
विषय संख्या 16	अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी की तथा-कथित भूमि के सम्बन्ध में ।	निर्णय हुआ कि इस मामले का पुनः परीक्षण किया जाये तथा यह पता लगाया जाये कि इस केस को किस प्रकार अस्वीकार किया गया । अलकापुरी का केस भी इस सम्बन्ध में अलकापुरी का केस भी देखा लिया जाये । यह भी देखा लिया जाये कि सुन्दरिभति भूमि का मुआवजा दिया गया है या नहीं । आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है ।

पृष्ठ संख्या: 21

विषय संख्या: 17	नवखाल योजना में विंडिया बाजार के समीप के कुछ क्षेत्र को अर्जन से मुक्त करने एवं अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में भावन-चित्रों की स्वीकृति के सम्बन्ध में पालिसी निर्धारित करने के सम्बन्ध में।	ट्राफिक ऐडवाइजरी कमेटी क्षेत्र को देखाकर रिपोर्ट दें कि अर्जन से मुक्त किया जाये अथवा नहीं। लेन्ड एकोजीशन की धारा-4 के नोटिफिकेशन उपरान्त सम्बन्धित स्थान के लिये कोई भी भावन चित्र स्वीकृत न किया जाये।	विषय अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है।
विषय संख्या: 18	शाहर के मध्य बटलर-गंज स्कीम के भाण्ड संख्या-10 की भूमि का अर्जन।	निर्णय हुआ कि इसके अर्जन की कार्यवाही समाप्त कर दी जाये। इसके सम्बन्ध में वि०प्रा०को कोई कार्यवाही नहीं करनी है।	नोट किया गया।
विषय संख्या: 19	श्री हरीश रस्तोगी मालिक पंचशील के विरुद्ध दायर वेदखाली के मुकदमे को उठाकर लाइसेंस पुनः रिस्टोर करने पर विचार।	विषय स्थागित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि मामले का पुनः परीक्षण करके पुनः प्रस्तुत किया जाये।	आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा।
विषय संख्या: 20	आर्मी वेलफेयर हाउसिंग आर्गनाइजेशन को अली-गंज नगर एवं सड़क प्रसार योजना फेज-2 में 5 एकड़ भूमि तथा कानपुर रोड़ योजना में 50 एकड़ भूमि का आवन्तन।	सर्वर द्वारा पारित प्रस्ताव अवलोकित किया गया तथा अनुमोदित किया गया। सचिव ने बताया कि उक्त बोर्ड को अलीगंज योजना के फेज-2 में 5 एकड़ भूमि रु० 5-00 प्रति वर्ग फुट की दर से दी गई है।	आर्मी वेलफेयर बोर्ड को अली-गंज योजना के फेज-2 में 5 एकड़ भूमि 5/- प्रतिवर्ग फुट की दर से आवन्तित कर दी गयी है कब्जा भी दिया जा चुका है।
विषय संख्या: 22	राम किशन मिश्रान को आवन्तित भाण्ड सं०-बी-81, वी-82/1, वी-82/2, स्थिति टी०जी०नार्थ चौदगंज योजना के लीजहोल्ड राइट्स को समाप्त करके राम कृष्ण मठ को लीज पर पट्टा देने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि राम कृष्ण मठ से सम्बन्धित टस्ट डीड शीट मंगा ली जाये तथा मामले को पुनः इवजायमिन कर लिया जाये तथा मामले पर विधिक राय भी ले ली जाये।	विधिक राय ले ली गई है तथा विषय अलग से प्रस्तुत है।
विषय संख्या: 22	अलीगंज योजना में लीज-रेंट के निर्धारण के सम्बन्ध में लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या-5 पर हुए निर्णयानुसार गठित उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार।	विवारोपरान्त लीज-रेंट निम्न प्रकार निर्धारित किया गया:- पू०तीस वर्ग-प्री०कर 1% द्वि०तीस वर्ग-प्री०कर 2% तृती०तीस वर्ग-प्री०कर 3% सवा दो %	कानूनी राय ले ली गई है तथा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।
		सचिव ने कहा कि एच०आई० जी० में 3% ली०रेंट लिया जाता है। निर्णय हुआ कि इसपर विधिक राय भी प्राप्त कर ली जाये।	

कुमरा:-----

पृष्ठ संख्या: 22

- | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषय
संख्या:
23 | श्री सी०एम०अग्रवाल
को आवंटित भूखण्ड
संख्या-सी-49 स्थित
सेक्टर "जे" को बदलने
के सम्बन्ध में । | निर्णय लिया गया कि
उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास
प्राधिकरण इस विषय
में अपने स्तर पर निर्णय
ले लें । | श्री सी०एम०
अग्रवाल को
तदनुसार सूचित
कर दिया गया
है । |
| विषय
संख्या:
24 | लखनऊ विकास प्रा-
धिकरण के लिये
उद्द्यान अधीक्षक का
पद वेतनमान रु550-
1200 में सृजन एवं श्री
जे०पी०गुप्ता उद्द्यान
अधीक्षक की नियुक्ति । | उद्द्यान अधीक्षक का
पद वेतनमान रु550-1200
में सृजित किया गया तथा
इस हेतु शोधक योग्यता
वी०एस०जी०ए०जी०
निर्धारित की गई एवं
10 वर्षों का अनुभव
निर्धारित किया गया । | श्री जे०पी०गुप्ता
की नियुक्ति वेतन-
मान रु 550-
1200 में अधीक्षक
उद्द्यान के पद
पर की गई । |
| विषय
संख्या:
25 | अलीगंज आवास योजना
में विकास प्राधिकरण
नगर महापालिका
का कर्मचारियों द्वारा
अनाधिकृत कब्जा
लेने के विषय में । | इस सम्बन्ध में उच्च
स्तरीय जांच की जाये । इन
कर्मचारियों के विरुद्ध
वैभाषिक कार्यवाही की
जाये तथा रेन्ट शीट्स
वसूल किया जाये । उक्त
कर्मचारियों को उक्त भवन
आवंटित करने का प्रस्ताव
अस्वीकार किया गया । | उक्त विषय पर
विचार किया
जा रहा है । |
| विषय
संख्या:
26 | सिविल अस्पताल के लिये
5 एकड़ क्षेत्र ट्रान्सगोमती
क्षेत्र में तथा 5 एकड़
कानपुर रोड आलमबाग की
ओर लखनऊ विकास
प्राधिकरण द्वारा निः
शुल्क भूमि प्रदान करने के
सम्बन्ध में । | निर्णय लिया गया कि
ट्रान्सगोमती क्षेत्र एवं
कानपुर रोड पर 5-5
एकड़ निःशुल्क भूमि
दिया जाना सम्भव
नहीं है । यह भूमि
नो-प्रॉफिट नो-लास
बेसिस पर उपलब्ध
कराई जा सकती है ।
शासन को सूचित कर
दिया जाये । | इस सम्बन्ध
में आवश्यक
कार्यवाही की
जा रही है । |
| विषय
संख्या:
27 | लखनऊ विकास प्राधि-
करण में पिछले तीन
वर्षों से कार्यरत क्लर्क
श्रेणी कर्मचारियों के
पदों के सृजन के सम्बन्ध
में । | 3 गैंग मैन्, 1 मेट, 1
इलेक्ट्रीशियन, 2
पम्प ऑपरेटर तथा
31 मालियों के पद
सृजित किये गये । | निर्णयानुसार
3 गैंगमैनों की
नियुक्ति वेतन-
क्रम रु0165-215
में कर दी गई है ।
शेष कार्यवाही
की जा रही है । |
| विषय
संख्या:
28 | अलीगंज मार्ग एवं नगर
प्रसार योजना में विद्या-
लयों को भूमि आवंटन
के सम्बन्ध में । | निर्णय लिया गया कि
वेतना सोसाइटी, निरा-
लानगर, लखनऊ को अली-
गंज सड़क एवं प्रसार योजना
के सेक्टर "सी" में 59552
वर्गफुट भूमि आवंटित की
जाती है । उक्त भूमि की
दर लाटेड एरिया रेट का
50% होगी । यह भी
निर्णय लिया गया कि
सम्बन्धित संस्था विद्या-
लयों को भूमि आवंटन
हेतु गठित उपसमिति की
वैठक दिनांक 10-7-80 की
कार्यवाही में उल्लिखित
शर्तें भी पूर्ण करें ।
अन्य विद्यालयों को भूमि
देने हेतु एक कमेटी का भी
गठन किया गया । | निर्णयानुसार
वेतना सोसाइटी
को अवगत करा
दिया गया है ।
अन्य कार्यवाही
की जा रही है । |

पृष्ठ संख्या: 23

विषय संख्या 29 श्री भार्गव द्वारा कृषि किये गये भूखण्ड के प्रीमियम में 50 प्रतिशत छूट का आवेदन ।

निर्णय लिया गया कि शासनादेश 30:1972/37-3-2-पी0ए0/74, दिनांक 2-4-80 में दिये निर्देशों का पालन किया जाये तथा श्री एन0के0भार्गव को 1977 में उक्त भूखण्ड की जो बोली बोली थी उसके 50% दर पर निराला सेवा शिक्षा संस्थान को उक्त भूखण्ड आवंटित कर दिया जाये । शीघ्र शर्तें वही होंगी जो अन्य विद्यालयों को भूमि आवंटित करने में रहती हैं ।

प्राधिकरण के निर्णयानुसार श्री भार्गव को भूखण्ड आवंटित किया जा चुका है ।

विषय संख्या 30

अलीगंज योजना में आवंटित भूखण्डों के प्रीमियम की दरों एवं उनके भूगतान के सम्बन्ध में ।

विषय स्थगित किया गया ।

विषय आगामी वृत्त में प्रस्तुत किया जाना है ।

विषय संख्या: 31

विकास प्राधिकरण में नजूल अधिकारी के पद के सृजन के सम्बन्ध में ।

द्विचरौपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण में नजूल अधिकारी का एक पद सृजित किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया गया कि शासन ने एक पी0सी0एस0 अधिकारी के तनमान रु 800-1450 में प्रतिनियुक्ति पर प्राधिकरण में अति-शुद्धि नियुक्ति करने हेतु निवेदन कर दिया जाये ।

प्रतिनियुक्ति पर एक पी0सी0एस0 अधिकारी भोजने हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया है ।

==:0000!:=:0000::=:0000::=

नजूल भूमि के सर्वेक्षण आदि की प्रगति रिपोर्ट

17/06/24

दिनांक 22-7-80 को तब तक विकास प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में नजूल भूमि के सर्वेक्षण आदि की प्रगति अवलोकनार्थ प्रेषित है :-

स्टाफ का विवरण

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

<u>पद तथा संख्या</u>	<u>कार्य भार ग्रहण करने की तिथि</u>
1- तहसीलदार 1	दिनांक 1-9-79
2- नायब तहसीलदार 1	दिनांक 1-1-80
3- सर्वे पर्यवेक्षक 1	दिनांक 4-12-79
4- सर्वे अमीन 4	दिनांक 17-4-80 के बाद कुल 8 अमीनों की नियुक्ति के आदेश अप्रैल माह में हुए थे जिसमें से एक अमीन नजूल कार्यालय से सलंग रखा गया शेष 7 नजूल भूमि के सर्वेक्षण तथा नक्शा ट्रेस करने व अभिलेखों की नकल तैयार कराने हेतु तैयार किये गये। इसमें से तीन अमीन तहसील में लेखपाली पद पर नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप त्याग-पत्र देकर चले गये हैं।

अतः जिताधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने वाले इच्छुक लेखपालों के नाम मांगे गये हैं ताकि अमीनों के रिक्त स्थान भरे जा सकें। बचे हुए चार अमीनों में से एक अमीन नक्शा ट्रेस करने का कार्य कर रहा है तथा एक अन्य अमीन से अभिलेखों की नकल तैयार कराया जा रहा है। शेष दो नजूल भूमि के सर्वेक्षण कार्य में लगे हैं।

अब तक से किये गये कार्यों का विवरण इस प्रकार है :-

नक्शे जो ट्रेस कराये गये (25)

<u>ग्राम मोहल्ला</u>	<u>नम्बर</u>
1- चकड़नायत बाग	295
2- नौबस्ता	509
3- मोअज्जम नगर	563
4- मोसाहब गंज	544
5- इरादत नगर	706
6- टिकैतगंज	896
7- रहीम नगर-1 928	470
8- चारबाग (प्रथम)	613
9- चारबाग (द्वितीय)	
10- नक्शा	388
11- नगरिया	1667
12- बरौतिया	1065

पृष्ठ सं. 25

13-	भदेवा (आबादी)	134
14-	बरीतिया -2	373
15-	जियामऊ	314
16-	शेखापुर कसैता	269
17-	शेखापुर	654
18-	सिकन्दरपुर नजूल	332
19-	हरचन्द्रपुर कौरा	419
20-	गढ़ीपीर खाँ	1043
21-	दुर्गावा	370
22-	मिर्जावा	934
23-	महानगर, रहीमनगर	792
24-	गन्नामंज	905
25-	छितवापुर	971

खसरा तथा खतौली जिसकी नकल तैयार हुई

नाम ग्राम	खसरा नंबर	फर्दमुताबकत	खाता खतौली नंबर
1-	जियामऊ	317	19
2-	दुर्गावा	371	55
3-	सिकन्दरपुर	331	151
4-	शेखापुर कसैता	270	95
5-	महानगर रहीमनगर	945	559
6-	हरचन्द्रपुर कौरा	419	
7-	भदेवा	427	100
8-	इरादतनगर	708	201
9-	बिरहाना	331	29
10-	बरीकला	554	42
11-	कुठरी	58	8
12-	कोडर	260	1
13-	बरीतिया	374	25
14-	शेखापुर	256	2

सर्वेक्षित भूमि का विवरण :

नाम ग्राम/मोहल्ला	कुल सर्वेक्षण क्षेत्रफल	
	बी० बि० वि० क०	
1-	राम नगर	25 1 15 4
2-	यासीनगंज	2 12 15 18
3-	मोहम्मदनगर	1 7 6 4
4-	गोतम बुद्ध पार्क	34 11 7 11 18 2 2 4 12
5-	बिरहाना	19 6 0 0
6-	भदेवा	20 16 0 12
<hr/>		
108-4- 14-8		

नोटिस जारी करना तथा मुकदमें दाखिल करना

अब तक कुल 173 मामलों में नोटिस जारी की गयी है जिसमें से 90 आपति प्राप्त हो चुकी है। 7 मुकदमें विधि विभाग को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु भेजे जा चुके हैं।

आवासीय भवनों की शारीरिक प्रगति आख्या माह सितम्बर, 1980

क्रमांक - योजना का नाम	वर्ष का लक्ष्य	निर्माणाधीन भवनों की संख्या	पूर्ण भवनों की सं०	प्रारम्भित हुए भवनों की संख्या	टिप्पणी
1- अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना					
एच०आर्इ०जी०	150	14	निल	136	
एम०आर्इ०जी०	300	41	निल	259	
एल०आर्इ०जी०	650	67	निल	583	
ई०ई०वू०एस०	1335	6	10	1319	
साईट सर्चिसेज	350	निल	8	342	
2- कानपुर रोड नगर प्रसार योजना					
एच०आर्इ०जी०	50	निल	-	50	
एम०आर्इ०जी०	100	निल	-	100	
एल०आर्इ०जी०	448	50	43	335	
ई०ई०वू०एस०	1580	निल	-	1580	
साईट-सर्चिसेज	612	100	100	412	
3- मोतीझील योजना					
एल०आर्इ०जी०	102	64	38	-	
ई०ई०वू०एस०	78	68	10	निल	
साईट एवं सर्चिसेज	38	38	निल	निल	
4- स्लम क्लीरेंस					
ई०ई०वू०एस०	40	-	37	3	
5- ऐशवाय					
ई०ई०वू०एस०	167	167	-	निल	

संख्या- योजना का नाम	भाव का प्रकार	बजट में प्रस्तावित स्वीकृति कावराशि	स्वीकृत कावराशि	माम के अन्त तक व्यय
1- जलीय योजना	एचआईजी० एमआईजी० एनआईजी० इंडस्ट्रियल साइट एण्ड सर्विसेज	5+ 274.22 लाख	274.22 लाख	28.87 लाख
2- हादपुर रोड काम प्रसार योजना	एचआईजी० एमआईजी० एनआईजी० इंडस्ट्रियल साइट एण्ड सर्विसेज	70.20 लाख	70.20 लाख	12.58 लाख
3- मोतीझीय योजना	एचआईजी० इंडस्ट्रियल साइट एण्ड सर्विसेज	85.03 लाख	85.03 लाख	63.38 लाख
4- स्लम बली रेंस	एचआईजी० एमआईजी० एनआईजी० इंडस्ट्रियल साइट एण्ड सर्विसेज	32.20 लाख	32.20 लाख	7.76 लाख
5- ऐशावाय योजना	एचआईजी० इंडस्ट्रियल साइट एण्ड सर्विसेज	5.30 लाख	5.30 लाख	1.29 लाख

-----xxxxxxx-----

क्रमांक	योजना का नाम	वर्ग का लक्ष्य	पूर्ण इकाइयों की संख्या	निर्माणाधीन इकाइयों की सं०	प्रारम्भ न हुई इकाइयों की सं०	टिप्पणी
1-	छितवापुर शापिंग कॉम्पलेक्स	76 दुकानें	नित	नित	76	इस कॉम्पलेक्स का स्ट्रक्चर प्लान तथा टेन्डर डॉक्यूमेंट दिल्ली से शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।
2-	जनपथ मार्केट	त्रिलोक नार्थरोड के सामने पूर्व निर्मित दुकानों एवं शोरूम	-	-	-	कार्य समाप्त हो चुका है।
3-	सिण्डर डम्प	64 दुकानें	-	-	46	38 दुकानों का कार्य पूर्ण हो चुका है।
4-	अलीगंज मार्केटिंग कॉम्पलेक्स	46 दुकानें	-	46	-	कार्य प्रगति पर है।
5-	अलीगंज में छोटी दुकानों का कार्य क्रियारत	8	4	4	-	4 दुकानों का निर्माण पूरा हो चुका है।
6-	अलीगंज में सटजी मार्केट का कार्य	22 दुकानें	-	-	22 दुकानें	कार्य प्रगति पर है।
7-	कामटोबु	-	-	-	-	आगणत स्वीकृत होना है।

उमT/80

॥ विहतीय ॥

क्रम संख्या	योजना का नाम	बजट में प्रस्तावित धारराशि	स्वीकृत धारराशि	वर्ष में व्यय
1-	छितवापुर सापिथ का म्पलेवस	50.00 लरुड	50.00 लरुड	.058 लरुड
2-	जनपथ माकेट	05.00 "	05.00 "	1.538
3-	सिंडर डम्प योजना	15.00 "	15.00 "	0.688 "
4-	अली गंज मार्केटिंग एक्सटेंसन	10.00 "	10.00 "	.069 "
5-	अली गंज में छोटी दुकानों का कार्य ॥ क्रियासू ॥	01.00 "	01.00 "	.068 "
6-	अली गंज में सब्जीमंडी का कार्य	01.00 "	01.00 "	-
7-	कामधोनु	10.00 "	-	-

भूमि विकास का प्रगति विवरण-माहसितम्बर, 1980

-----xxxxxxx-----

क्र.सं०	योजना का नाम	भूमि विकास का लक्ष्य [एकड़ में]	उपलब्ध स्थल [एकड़ में]	स्वीकृतस्थल [एकड़ में]	विकास कार्य में प्रगति	पूर्ण विकास किया हुआ क्षेत्र	विकास हेतु अवशेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसारयोजना	109.42 एकड़	109.42 एकड़	109.42 एकड़	48-19	30.00	31.23 एकड़	विकास कार्य प्रगतिपर है ।
2-	ठाकपुर रोड योजना	227.56 एकड़	227.56 एकड़	227.56 एकड़	-	164.61	62-95	विकास कार्य हेतु टेन्डर जा रहे है ।
3-	मोती झील योजना	-	-	-	-	-	-	योजना तमाम समाप्त पर है ।
4-	ऐशवाग योजना	-	-	-	-	-	-	" "

भूमि अध्याप्ति की भौतिक प्रगति आड्या

पृष्ठ सं०: 31

-----x x x x x-----

योजना का नाम	कुलअर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र एकर में	वर्ष 1980-81 का लक्ष्य एकर में	वित्तीय वर्ष की कुलउपलब्धता	माह सितम्बर में प्राप्त भूमि में प्राप्त भूमि एकर में	विवरण
1	2	3	4	5	6
1- अतीथंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना	923	108	-	-	-
2-अ-कानपुर रोड नगर प्रसार योजना भूभाग-1	565-31	500	49-836	49-836	उपजा तिया जा रहा है
व-भूभाग-2	504-09	ती
स-भूभाग-3	2044-45	-	-	-	विपत्तिवर्ती हुई है ।
3- बैपियर रोड भूभाग-3	86-00	86	-	-	"
4- शोखापुर कसैता	66-00	20	-	-	"
5- सीतापुर रोड नगर प्रसार योजना	1757-5	1000	-	...	"
6- हरदोई रोड पर कैदित काजोनीयोजना	1707-0	500	-	-	"
7- गोमती आवास योजना	77-36	29	-	-	"
8- मोतीझात योजना	38-00	30	-	-	"
9- विजेंदौर रोड पर कैदित काजोनी योजना ।	229-44	50	-	-	"

उम/80

1	2	3	4	5	6	7
10- प्रौद्योगिकी कार्यालय हेतु 11- अन्य योजनायें	-	-	-	-	-	स्थान का चयन नहीं हुआ है।
अ- मीरतकी मीर रोड आवास योजना	1-42	20	-	-	-	जिलाधिकारी द्वारा विहण्टिया जारी करने हेतु योजना शासन को भोज दी गयी है।
व आर०टी०ओ०शा०पिं० काम्पलेक्स योजना	3-20 एकड़	-	-	-	-	""
स जलपथा मार्केट योजना	2632 वर्गफुट	-	-	-	-	""
द ए०पी०सेन रोड स्थित झूडांड संख्या -4 पर आवासीय योजना	1-6 एकड़	-	-	-	-	""
य ए०पी०सेन रोड स्थित झूडांड सं० 14 पर आवासीय योजना	0-68 एकड़	-	-	-	-	""
र वटजरगंज आवासीय योजना सं० 023	1-23 एकड़	-	-	-	-	""
त अलीगंज सटजी गंडी योजना	0-66 एकड़	-	-	-	-	""
थ काह्यकुटज कातेज के सामने भूमि पर आवासीय कम कामशियत योजना	3-20 एकड़	-	-	-	-	जिलाधिकारी स्तर पर योजना की विहण्टिया जारी करावे हेतु विचार-धीन है।
श वटतरगंज आवासीय योजना सं० 010	1-33 एकड़	-	-	-	-	
ह चिड़िया बाजार शा०पिं० काम्पलेक्स योजना	0-62 एकड़	-	-	-	-	प्राधिकरण में अभी विचारधीन है।

-----xxxx-----

क्र०सं०	योजना का नाम	1980-81 में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष हेतु वजट में प्रा विद्वान	वित्तीय वर्ष में वि० सं० 02/02/02 को प्रतिवर्ष हेतु वजट दी गयी धनराशि	माह सितम्बर में प्रतिवर्ष हेतु दी गयी धनराशि	अवशेषादान राशि	विवरण
1-	अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना	150 लाख	-	-	150 लाख	-
2-	ठाकपुर रोड नगर प्रसार योजना	125 लाख	-	50-45	94-55 लाख	-
3-	नैपियर रोड भाग-3	25 लाख	-	-	25 लाख	-
4-	शोहापुर कसैला योजना	-	-	-	-	-
5-	लीलापुर रोड नगर प्रसार योजना	50 लाख	-	-	50 लाख	-
6-	हरदोई रोड पर कैटिल कालोनी योजना	50 लाख	-	-	50 लाख	-
7-	गोमती आवास योजना	1 लाख	-	-	1 लाख	-
8-	मोतीझील आवास योजना	10 लाख	-	-	10 लाख	-
9-	विजनौर रोड पर कैटिल कालोनी योजना	10 लाख	-	-	10 लाख	-
10-	प्रा विद्वान कार्यालय हेतु	10 लाख	-	-	1 -	-
11-	अन्य	9 लाख	270 लाख	-	6-30 लाख	-

वित्तीय प्रगति आख्या

वर्ष 1980-81 आय-व्यय विवरण माह सितम्बर, 1980

पृष्ठ संख्या: 34

लक्ष्य	लीजरेट	रेट व प्रीमियम	भवन चित्र व शमन शुल्क	भूमि की बिक्री	भवनों की बिक्री	श्रृण	अव्य प्राप्त	प्रारम्भिक अवशेष	योग
वार्षिक लक्ष्य/मासिक लक्ष्य प्रोग्रेसिव लक्ष्य/मासिक	5.90	66.10	8.42	350.76	338.45	995	15.79	277.74	2058.16
प्रोग्रेसिव आय/प्रोग्रेसिव लक्ष्य का प्रतिशत	1.14	12.73	1.22	26.14	32.59	86.59	8.59	267.74	436.38
वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत	19.32%	19.26%	14.49%	7.45	9.63%	8.66	54.40	-	-2.25 उच्चतम का अन्त
									21.20%

लक्ष्य	अधिष्ठाता/भूमि अर्जन	विकास कार्य पुरानी योजनाएँ	भूमि विकास (नया)	भवन निर्माण	व्यवसायिक मूल्य केन्द्रों का निर्माण	मूल्य बस्ती निपातन	मशीनरी स्टोर	श्रृण/व्याज प्रतिदान	अव्य	अन्तिम अवशेष योग	
वार्षिक लक्ष्य मासिक लक्ष्य प्रोग्रेसिव लक्ष्य	52.53	44.00	22.25	316.43	662.97	100.30	32.20	158	172.55	97.48	3.45
मासिक व्यय/ प्रोग्रेसिव व्यय प्रोग्रेसिव व्यय का प्रतिशत	20.22	33.15	4.50	52.69	74.50	5.59	5.47	24.16	37.02	230.70	14.98
वार्षिक लक्ष्य का प्रतिशत	38.49%	7.53%	20.22%	16.65%	11.08%	5.57%	16.99%	15.29%	9.14%	30.31%	-

खण्डों का अवशेष
5.30 लाख

विषय सं०: 5

पृष्ठ सं०: 36

विषय:- अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग को-आपरेटिव सोसायटी की तथा कथित भूमि के संबंध में ।

.....

नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटी के पक्ष में भूमि छोड़े जाने का मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक- 22-7-80 में प्रस्तुत किया गया था । जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया था ।

विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस मामले का पुनः परीक्षण किया जाये तथा यह पता लगाया जाये कि इस केस को तथा अन्य केस को प्राधिकरण द्वारा किस प्रकार अस्वीकार कर दिया गया है । अलकापुरी का केस भी इस संबंध में देख लिया जाय । संदर्भित भूमि का मुआवजा दिया गया है या नहीं, यह भी भली-भाँति देख लिया जाये समस्त तथ्यों के साथ रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

उपरोक्त बैठक के कार्य-वृत्त के क्रम में निम्न आख्या प्रस्तुत है :-

- 1- अलीगंज सड़क एवं नगर प्रसार योजना नगर महापालिका अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित की गयी थी और सर्व प्रथम इस अधिनियम की धारा 357 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-62 को इसके अर्जन हेतु विज्ञापित जारी की गयी थी ।
- 2- तदोपरान्त नगर महापालिका अधिनियम की धारा 363 §1§ दिनांक- 26-4-69 व भूमि अध्याप्त अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत विज्ञापित दिनांक- 13-4-70 को जारी होकर अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ।
- 3- नरेन्द्र नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी का रजिस्ट्रेशन अगस्त 12, 1980 को हुआ और इसका रजिस्ट्रेशन नं० 1737 है ।
- 4- जिस समय सोसायटी का रजिस्ट्रेशन हुआ था उस समय सोसायटी के पास कोई भूमि नहीं थी । कुछ व्यक्तियों ने सोसायटी के गठन के पूर्व और कुछ ने सोसायटी के गठन के बाद अपने अपने नामों से जमीन खरीदी एवं तदोपरान्त वे लोग सोसायटी के सदस्य बन गये ।
- 5- लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भूमि सोसायटी से नहीं अर्जित की गयी है बल्कि जिन व्यक्तियों ने सोसायटी के गठन के पूर्व या बाद में खरीदी थी उनसे अर्जित की गयी है ।

--2--

- 6- सोसायटी के नाम जिस भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ है वह इस योजना के नोटीफिकेशन के बाद का है । सोसायटी की तथा कीथत भूमि का क्षेत्रफल बीघा 16-18-5-0 है लगभग सभी भूमि का कब्जा विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है ।
- 7- नरेन्द्र नगर समिति की जमीन छोड़े जाने का मामला विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक- 11-11-78 में प्रस्तुत हुआ और निम्न निर्णय लिया गया नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोअपरेटिव सोसायटी के केस पर विचार किया गया और पाया गया कि सोसायटी को रजिस्ट्रेशन सन् 1960 में हुआ किन्तु सोसायटी ने भूमि योजना के अध्यापन के पश्चात् द्रय किया और विचार करने के पश्चात् उचित समझा कि इस सोसायटी को भूमि आवंटित करनेमें विशेष व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं रहा ।
- 8- अ- समिति की तथा कीथत भूमि जो पहले व्यक्तिगत व्यक्तियों के नाम थी तथा बाद में ये लोग समिति के सदस्य बन गये, के एवार्ड विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी, नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा हित बद्ध व्यक्तियों के नाम से घोषित किये गये हैं और जिसका प्रतिकर भी हित बद्ध व्यक्तियों द्वारा ले लिया गया है ।
- ब- समिति की भूमि जो समिति के नाम से थी उसका एवार्ड भी विवरण विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा घोषित किया जा चुका है किन्तु इसका प्रतिकर समिति द्वारा नहीं लिया गया है ।
- 9- इस प्रकार समस्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार/ लखनऊ विकास प्राधिकरण में निहित हो चुका है उक्त भूमि पर दो कमरे तथा तीन कमरे वाले भवनों का निर्माण भी हो चुका है और इसी भूमि पर अलीगंज कामर्शियल काम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा चुका है तथा कुछ भागों में भूखण्ड बनाकर आवंटित किये जा चुके हैं अब विकास प्राधिकरण के पास सोसायटी की कोई भूमि खाली नहीं है ।
- 10- अलकापुरी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड, जिसका रजिस्ट्रेशन सन् 1964 में हुआ था और उसके द्वारा सन् 1964 से 1966 के बीच ग्राम-फतेहपुर में 14-6-13-0 बीघे भूमि खरीदी गई थी ।

अलकापुरी सहकारी गृह-निर्माण समिति लिमिटेड की भूमि भी योजना से छोड़ी नहीं गई थी परन्तु शासन के निर्णयानुसार लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक- 30-11-78 को इस समिति को वैकील्पक व्यवस्था के रूप में 57 भूखण्ड अलीगंज मार्ग एवं नगर प्रसार योजना की प्रचलित दर पर सेक्टर "सी" में आवंटित कर दिये जायें और उनकी जमीन का जो प्रतिकर बना वह उन्होंने सीधे भूमि अध्याप्ति अधिकारी से प्राप्त किया ।

11- शासनादेश संख्या 110/37-2-41 अडवाट0/878 दिनांक- 6 मई, 1976 के आधार पर विकसित प्लॉटों में से 25 प्रतिशत प्लॉट उन सहकारी आवास समितियों को आवंटित किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करने को तैयार हों ।

- अ- सहकारी आवास समितियाँ जो उत्तर प्रदेश सहकारी संघ से संबद्ध हों ।
- ब- सहकारी समितियाँ जो आवास संघ से मकानों के निर्माणार्थ ऋण लेने को तैयार हों ।
- स- सहकारी आवास समितियाँ उत्तर प्रदेश आवासीय एवं विकास परिषद या संबंधित विकास प्राधिकरण जिससे भी उनको भूमि आवंटित की गयी हो, के पास आवास संघ से प्राप्त ऋण की धनराशि जमा करके मकानों का निर्माण कराने को तैयार हों ।

अथवा

- द- सहकारी आवास समितियाँ निर्मित मकान आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण के कृप्य करने को तैयार हों ।

.....

विषय संख्या: 6

पृष्ठ संख्या:

विषय: नवछास मार्केट के सन्निकट चिड़िया बाजार व छोड़ा बाजार की भूमि के कुछ भाग को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्रस्ताव संख्या: 2.14 दिनांक 14-5-80 द्वारा गठित उप-समिति द्वारा नवछास में बनाई गई व्यवसायिक योजना के सम्मूहा स्थित चिड़िया बाजार व छोड़ा बाजार के क्षेत्र को अध्याप्त करने के विरुद्ध ज्ञापन पर जांच करने अपना मत देना था ।

उप-समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण करने हेतु दिनांक 27-7-80 निश्चित की गई तथा उप-समिति के उपस्थित सदस्यों ने स्थल का निरीक्षण अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं आयुक्त लखनऊ मण्डल के साथ निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ नगर नियोजक, अतिरिक्त-सचिव तथा सहायक अभियन्ता अर्जन भी उपस्थित थे ।

स्थल निरीक्षण व विचार विमर्श के दौरान हर पहलू पर गौर किया गया तथा व्यावसायिक केन्द्र बनाने से यातायात पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया गया । लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित नये नवछास मार्केट के समक्ष वाहनों के पार्किंग के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने के कारण यह भी माना गया कि इस छोटे से व्यावसायिक-केन्द्र के लिये पार्किंग स्पेस की अलग से आवश्यकता नहीं है ।

सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त सब-कमेटी द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :-

- 1- प्रापर्टी न० 4 से 9 तक अर्थात् न० 6, 53 व 291 अर्थात् अध्याप्त करावर मार्केटिंग सेन्टर बनाया जाये तथा दूकानों के ऊपर फ्लैट बनाने का भी प्राविधान किया जाये ।
- 2- प्रापर्टी न० 1 से 3 तक को अध्याप्त करने से निम्न कारणों से मुक्त कर दिया जाये:-
 - क- प्रापर्टी न० 1 व 2 अर्थात् न० 7, 31 व 33 एक बहुत छोटा प्लॉट है तथा उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा है जिसमें यदि कोई निर्माण प्रस्तावित किया जाता है तो वास्तविक निर्माण स्थल अनुपात में बहुत कम उपलब्ध होगा ।
 - ख- प्लॉट के पूर्व 2 मस्जिदें स्थित हैं जिनके लिये प्रापर्टी न०-3 को रास्ते के रूप में छोड़ना पड़ेगा जिसके कारण प्रापर्टी न० 1 व 2 का प्लॉट, जो छोड़ा बाजार के नाम से विख्यात है, मुख्य व्यावसायिक केन्द्र से अलग थलग होकर अनुपयोगी सिद्ध होगा ।

कृपया:-----

पृष्ठ संख्या-

- 3- प्रश्नगत प्रापर्टी न० 1,2 {घाणेड़ा बाज़ार} के प्लॉट किसी अन्य उपयोग में नहीं आयेगे क्योंकि सन्निवृत्त ही नये व पुराने लखानऊ मार्केट के सामने प्रचुर मात्रा में पार्किंग स्थान उपलब्ध है ।

अतः उप-समिति व्दारा की गई अनुशंसा विचारार्थ एवं निष्पत्ति हेतु लखानऊ विकास प्राधिकारण की बैठक में प्रस्तुत है ।

x x x x x x x

एम/आर xxx

तत्कालीन विकास प्राधिकरण की बैठक हेतु आह्वान

विज्ञाप:-अतीर्ण योजना के सेक्टर "एफ" में कपुरथाला बाग स्थिति भूखण्डों
पर एच०आई०जी०/एम०आई०जी०के निर्माण के संबंध में

अतीर्ण योजना के "एफ" सेक्टर में कपुरथाला बाग स्थिति भूखण्डों पर एच०आई०जी०/एम०आई०जी० भावनों के निर्माण का निर्णय प्राधिकरण की पिछली बैठक में लिया गया था। सीमेन्ट की कमी को देखते हुये यह भी विचारित किया गया कि पहले ई०डब्ल्यू०एस०/एच०आई०जी० के भाव बनवाये जाय। एच०आई०जी०/एम०आई०जी०के भाव जिसमें सीमेन्ट का भार अधिक है का निर्माण कार्य बाद में किया जाय। इस स्थिति को देखते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में यहाँ पर उच्च आय/मध्य आय वर्ग के भावनों का निर्माण सम्भव नहीं हो पायेगा। इस योजना में प्रस्तावित भूखण्डों के विक्रय की ही व्यवस्था की गई है और इसी दृष्टि से भूखण्डों का साइज भी बड़ा रखा गया था इस पर यदि भावनों का निर्माण किया जाता है तो उनका विक्रय ^{सूत्र्य} बढ़ जावेगा। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने भी इस आधार पर इस क्षेत्र में प्रस्तावित प्लॉट पर दिये गये डिजाइन्स पर विक्रय सूत्र्य बहुत बढ़ जाने के फलस्वरूप आपत्ती व्यक्त की गई।

उक्त परिस्थितियों में यह उचित प्रतीत होता है कि इस क्षेत्र के भावनों के निर्माण के बजाय मूल योजना के अनुसार भूखण्डों का ही निस्तारण कर दिया जाये विक्रय से तत्काल लाभ भी उपलब्ध हो पावेगा जो कि अन्य योजनाओं के लिये आवश्यक भी है।

अतः यह विज्ञाप प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विषय संख्या: 8

पृष्ठ संख्या: 42

विषय: अलीगंज योजना के प्रस्तावित कामशियल क्षेत्र नेवरहुड शापिंग कॉम्प्लेक्स में विभिन्न संस्थाओं को "वर्सि सेन्टर" बनाने हेतु भूमि एलाट करने के सम्बन्ध में ।

x=x=x=x=x=x=x

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अलीगंज फेज़-1 के बनाये गये ले-आउट प्लान में नेवरहुड शापिंग सेन्टर के लिये दो स्थानों पर भूमि आरक्षित की गई है । §1§ सेक्टर "डी", "ई" और "एच" के मिलन बिन्दु पर §11§ कुर्सी रोड से लगा सेक्टर "एफ" में ।

सेक्टर डी, "ई" और "एच" के विकास के साथ यह क्षेत्र अब पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है और प्राधिकाकरण ने इस स्थान पर विभिन्न विभागों को जिनसे अलीगंज के विकास में सुविधा हो भूमि आवंटित की है । जिन विभागों को अभी तक भूमि आवंटित की जा चुकी है जिनके नाम हैं यू०पी०पबलिक सर्विस कमीशन, यू०पी० ललित कला अकादमी, जुलोजिकल सर्वे आफ इन्डिया, रिसर्व लेव, । बताई गई सूचना के अनुसार इन संस्थाओं में कुछ के द्वारा कार्यालय भवन, क्लबहाउस सेन्टर तथा रिसर्व के कार्य हेतु भवन बनाये जायेंगे । इसी के साथ इन कालोनियों में विजली प्रदान करने हेतु विजली के सब-स्टेशन और हाइ टेंशन लाइन ले जाने के लिये ग्रीन वर्ज में एक स्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आरक्षित किया गया है ।

अब निम्नलिखित विभाग अन्य सुविधायें प्रदान करने हेतु इस क्षेत्र में भूमि की आवश्यकता व्यक्त कर रहे हैं ।

- 1- पुलिस स्टेशन
- 2- फायर स्टेशन
- 3- जनसंख्या विभाग
- 4- इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट डेवलपमेन्ट

उपरोक्त परिपेक्ष्य में इस भूमि के विक्रय के साथ यह अनुमति अपेक्षित है कि जो भूमि इन संस्थाओं को दी जायेगी उनपर नेवरहुड के लिये आरक्षित एफ०ए०आर०एवं क्वरेज स्वीकृत किया जायेगा और बाकी बची भूमि में इसी एफ०ए०आर० पर व्यापारिक भवन की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

विषय संख्या : 9

विषय: लखनऊ शहर में सिनेमा^{गहों} स्थापित करने के सम्बन्ध में दिये गये
प्रतिबन्धों के बारे में निर्णय ।

लखनऊ महायोजना की वर्क स्टडी में सिनेमा का आधार जन संख्या रखी गयी है जो 60,000 व्यक्ति पर 500 सीट अनुमानित किया गया है और इस प्रकार 120 व्यक्ति पर 1 सीट का अनुपात आता है अध्ययन के समय भी लखनऊ के सिनेमा की स्थिति इससे कम रही है अर्थात् 70 व्यक्ति पर 1 सीट का अनुपात आता है इस प्रकार यह सोचते हुए कि जनसंख्या की वृद्धि के साथ यदि वर्तमान आर्थिक स्थिति ही बनी रहती है तो भी सिनेमा की कमी होनी चाहिए परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि पिछले एक दशक (दस वर्षों में) शहर की जनसंख्या के अनुसार 10 सिनेमा की अनुमति प्रदान की गयी है जो यह परलक्षित करता है कि अध्ययन के दिये गये सुझाव लखनऊ के लिए उपर्युक्त नहीं है साथ ही साथ मास्टर प्लान जो शासन द्वारा स्वीकृत किया गया है कि सब-डिवीजन रेगुलेशन ब्लॉक में सिनेमा की आवश्यकता कम्यूनिटी क्लास 5 जो 40,000 से लेकर 80,000 की जनसंख्या पर होगा निर्देशित किया गया है, उपरोक्त निर्देश के अनुसार यदि 10,00,000 की जनसंख्या आंकी जाये तो लखनऊ शहर में 25 सिनेमा की आवश्यकता पड़ती है जो उक्त मापदण्ड से थोड़ा भिन्न हो जाता है उपरोक्त परिपेक्ष्य में यह आग्रह है कि सिनेमा भवनों की स्वीकृति व्यवसायिक क्षेत्र के लोएस्ट क्षेत्र तक अर्थात् शापिंग सेंटर तक यदि उसमें पूर्व में जैन कर दिया गया हो तो सिनेमा की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

विषय संख्या -10

पृष्ठ संख्या-

विषय: आवास विकास परिषद की तालकटोरा रोड योजना के औद्योगिक क्षेत्र का भू-उपयोग बदलने के सम्बन्ध में ।

=x=x=x=x=x=x=x=

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा तालकटोरा रोड पर एक वृहद योजना पूर्व में प्रस्तावित कर कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका समुचित भाग विकसित किया जा चुका है । उपरोक्त योजना का कुछ क्षेत्र महायोजना के अनुसार औद्योगिक प्रयोजन के लिये प्रस्तावित है । उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने उक्त क्षेत्र का भू-उपयोग औद्योगिक से आवासीय परिवर्तित करने का आग्रह किया है । उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा भेजे गये पत्र और उसके साथ सैलमन की गई सूचना जिसमें ग्राम करेहटा, विहारीपुर, दरियापुर, गफरपुर उर्फ स्कनूदीनपुर तथा सुष्पा के 97.9534 हेक्टेयर भूमि को औद्योगिक से आवासीय उपयोग में परिवर्तित करने का आग्रह प्राधिकरण के सम्मुख निम्नार्थ प्रस्तुत है ।

इस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे औद्योगिक इकाई जो प्रस्ताव रखाने से पूर्व बन गई है अथवा जिनके लिये भूमि उपलब्ध की जा चुकी है उनको औद्योगिक ही बनाये रखाने का प्रस्ताव परिषद ने रखा है इस प्रकार की इकाइयों का क्षेत्र 21.21 हेक्टेयर बताया गया है ।

प्राधिकरण के रिकार्ड को जाँचने के पश्चात् यह तथ्य भी सामने आया है कि ग्राम करेहटा का सम्पूर्ण क्षेत्र जो भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया है टाउन इम्प्लूवमेंट ऐक्ट के तहत वर्ग 1920-21 में अध्यापित किया गया था और उक्त में कुछ प्लॉट औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भी किये जा चुके हैं । और इस प्रकार कुछ भाग पर औद्योगिक इकाइयाँ बनी और अन्य खाली है । मैसर्स आर्वाइन्डस्ट्री का प्लॉट इसी क्षेत्र का एक भाग है जिसका उपयोग परिवर्तन करने हेतु निम्नार्थ प्राधिकरण अपनी पिछली बैठक में ले चुका है ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

एम/आर xxx

विषय संख्या: //

पृष्ठ संख्या: 45

विषय: उपाध्यक्षा के वैयक्तिक सहायक के सृजित पद के वेतनमान को रु 425-900 से रुपये 320-620 करने तथा इसी वेतनमान में सचिव के वैयक्तिक सहायक का एक पद सृजित करने के सम्बन्ध में ।

x x x x x x

विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्षा के वैयक्तिक सहायक तथा सचिव के वैयक्तिक सहायक की निम्नान्त आवश्यकता है । वैयक्तिक-सहायक के न होने के कारण उपाध्यक्षा तथा सचिव के आशुलिपिक को वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य करना पड़ता है । इस समय उपाध्यक्षा और सचिव के आशुलिपिक, दोनों अपने वर्तमान स्टेनोग्राफ़र के वेतनमानों पर वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्य कर रहे हैं । उपाध्यक्षा के वैयक्तिक-सहायक का पद दिनांक 25-7-75 को सृजित किया जा चुका है परन्तु उस पर किसी की नियुक्ति नहीं की गई थी और अभी भी वही स्थिति है । सचिव के आशुलिपिक श्री देवी बक्शा सिंह से वरिष्ठता को देखाते हुए काफी कनिष्ठ आशुलिपिक श्री दुर्गेश कुमार श्रीवास्तव को वैयक्तिक सहायक (सचिव)-प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ के पद पर रु 320-620 में प्रोन्नति दी जा चुकी है । यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि नगर महापालिका के प्रशासक, तथा उप-प्रशासक से सम्बद्ध वैयक्तिक सहायक (निजी सचिव) के वेतनमान रु 320-620 में कार्यरत हैं । महापालिका के इन पदों को वरिष्ठ आशुलिपिकों से भरा गया है ।

अतः अनुशासा की जाती है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी उपाध्यक्षा एवं सचिव से सम्बद्ध वैयक्तिक सहायक के पद वेतनमान रुपये 320-620 में सृजित कराकर श्री देवी बक्शा सिंह, आशुलिपिक, सचिव तथा मोहम्मद अमीन मसूद, आशुलिपिक उपाध्यक्षा के प्रोन्नति सम्बन्धी मामले पर जो सन् 1975 से प्राधिकरण के विवाराधीन है, अन्तिम निर्णय ले लिया जाये ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ आख्या :-

विवरण:- लखनऊ विकास प्राधिकरण में जन सम्पर्क, समीक्षा एवं प्रचार के कार्यों हेतु आवश्यक पदों का सुजन ।

सारांश:- लखनऊ विकास प्राधिकरण में नित्त-प्रति बढ़ रहे जन सम्पर्क कार्य कलापों का जिसमें पत्रकारों तथा संवाहकताओं तथा विविध समाचार व प्रचार एजेंसियों से सम्पर्क, विज्ञापन योजनाओं का प्रचार तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पीटिंगों के प्रबन्ध का कार्य अत्याधिक हो गया है जिसके लिये इस संस्था में एक जन सम्पर्क कक्ष स्थापित किया जाया। लगभग सभी प्रगतिशील मुख्यस्थित विकास प्राधिकरणों में जन सम्पर्क विभाग की व्यवस्था है।

अतएव लखनऊ विकास प्राधिकरण में भी आवश्यकता को देखते हुए एक जनसम्पर्क विभाग की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है ताकि जनसम्पर्क के साथ-साथ उपरोक्त तत्सम्बन्धी कार्यों का संवाहने सुचारु रूप से सम्पादित किया जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सब-कमेटी जिसको स्टाफिंग पैटर्न पर अध्ययन करके सुझाव देने का कार्य सौंपा गया था, ने भी सम्पर्क के कार्य पर दल देते हुए सुझाव दिया है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में एक-जन-सम्पर्क विभाग स्थापित किया जाय। अतः इस हेतु निम्नलिखित पदों के सुजन हेतु सुझाव प्रेषित किए जाते हैं :-

क्र०सं० पदनाम पदों की संख्या वेतनमान शैक्षिक योग्यता भर्तीकीरीति

1-	जन सम्पर्क अधिकारी	1	500-1150	न्यूनतम स्नातक के साथ-साथ जनसम्पर्क का डिप्लोमा एवं जन-सम्पर्क या सूचना अधिकारियों के कार्य कलाप का एवं पत्रकारिता में 10 वर्ष का अनुभव। आयु - 21 से 35 वर्ष	सीधीभर्ती
2-	सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी	1	240-424	न्यूनतम बी०ए० वरीयता- जिसी भी स्थानीय निकाय द्वारा प्रेषित प्राधिकरण में दो वर्ष का प्रचार सम्बन्धी कार्यों का अनुभव।	अर्ह्य विभागीय अभ्यर्थियों में से वयन द्वारा
3-	रिसैपसनिस्ट	1	195-315	बी०ए० हिन्दी भाषा में एक विषय के स्म में तथा अंग्रेजी भाषा में भी दोत पाल का अच्छा ज्ञान। आयु- 18 से 30 वर्ष	सीधी
4-	क्लर्क - कम - टाइपिस्ट	1	185-280	इण्टरमीडिएट हिन्दी तथा अंग्रेजी हण्डल में 40 एवं 45 शब्द प्रोगी। आयु- 18 से 30 वर्ष	सीधीभर्ती

॥ 2 ॥

- | | | | |
|----------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5- फोटो ग्राफर | 1 | 280-460 | न्यूनतम योग्यता हाई सीधी
स्कूल, कार्यालय
आर्ट में 5 वर्षीय डिप्लोमा
तथा छाया चित्र खींचने
की कला एवं प्राथमिक
ज्ञान तथा हाई स्कूल में
कार्य करने का 2 वर्ष का
प्रयोगात्मक अनुभव।
आयु - 21 से 30 वर्ष। |
| 6- चपरासी | 2 | 165-215 | हिन्दी भाषा में लिखने
तथा पढ़ने का ज्ञान
साथ ही साथ सांख्यिक
चलाना जानता हो।
आयु- 18 से 30 वर्ष |

लखनऊ विकास प्राधिकरण के विचारार्थ आख्या

विषय:-/3 लखनऊ विकास प्राधिकरण पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अर्थात् से मुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु:-लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्रचलित पेंशन नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत किसी कर्मचारी को स्वयं अथवा पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु कम से कम 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा का होना आवश्यक है उक्त नियमों में यह भी प्राविधान है कि यदि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अर्थात् 20 वर्ष से कम हो तो कार्यकारिणी द्वारा सीमित उक्त कर्मचारी को पेंशन दिये जाने हेतु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा अर्थात् के प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान कर सकती है। चूंकि यह कर्मचारी प्राधिकरण सेवा का है अतएव इनके मामले में प्राधिकरण ही इस हेतु सक्षम है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत स्व० श्री मुकुट बिहारी, लिपिक की मृत्यु दिनांक 3-9-85 को हो गयी थी। स्व० मुकुट बिहारी की कुल अर्हकारी सेवा अर्थात् अवैतनिक अवकाश को छोड़कर 20 वर्ष 1 माह 16 दिन कम होती है। प्राधिकरण द्वारा स्व० मुकुट बिहारी के आश्रितों को 75 प्रतिशत पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा इस पर आपत्ति की गयी है कि उक्त कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अर्थात् 20 वर्ष से कम है।

अतएव प्राधिकरण द्वारा श्री मुकुट बिहारी के आश्रितों को भुगतान की जा रही पारिवारिक पेंशन को नियमित किये जाने हेतु 1 माह 16 दिन को कम अर्हकारी सेवा से मुक्ति प्रदान किये जाने की अनुमति किये जाने की संस्तुति की जाती है।

विज्ञाप संख्या: 14

पृष्ठ सं० 49

विषय :- लखनऊ विकास प्राधिकरण में दो पुरानी स्टाफ कार के बदले में दो नई एम्बेसडर कारों का क्रय ।

आख्या:- विकास प्राधिकरण में इस समय अधिष्ठात्री अभियन्ता तथा उसके समकक्ष अथवा उच्च स्तर के कुल 15 अधिकारी हैं और उनके उपयोग के लिये तीन एम्बेसडर कारें एक फीसट कार तथा चार जीपें हैं गत वर्ष गाड़ियों की कमी को देखते हुए अभियन्त्रण खण्डों में कार्यरत अधिष्ठात्री अभियन्ताओं के प्रयोग हेतु चार नई डीजल जीपों के क्रय की स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गयी थी काफी प्रयास के पश्चात् भी अभी तक उक्त जीपें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं । फर्म से सम्पर्क करने पर उन्होंने बताया अक्टूबर माह के अन्त तक दो जीपें हमें उपलब्ध करा देंगे शेष दो जीपें कब मिलेंगी इसके लिये निश्चित अवधि उन्होंने नहीं बताई । शायद तीन-चार माह में मिल जाय । उपलब्ध गाड़ियों में से एक एम्बेसडर कार तथा एक फीसट कार जो 18-20 वर्ष पहले क्रय की गयी थी अब काम लायक नहीं रह गयी है और उनकी मरम्मत पर काफी धन व्यय हो रहा है ।

अतः इन गाड़ियों को तत्काल बदलना आवश्यक हो गया है और संस्तुति की जाती है कि उक्त दोनों स्टाफ कारों के बदले में दो नई एम्बेसडर कारें खरीद ली जाय ।

....

विषय संख्या: 15

पृष्ठ संख्या: 50

विषय: राम किशान मिशान को आवंटित
भूखण्ड संख्या: बी-81, बी-82,
बी-82/1 तथा बी-82/2, 11, 217 वर्ग फु०
XXXXXXXXXXXX

उपरोक्त भूखण्ड टी०जी०नार्थ चॉदगंज योजना में स्थिति राम कृष्ण मिशान को वर्ष 1962 में रु० 1/- टोकेन वार्षिक लीज़रेन्ट पर चेरेटेबुल तथा वेलफेयर सर्विसिज़ के प्रयोजन हेतु दिये गये थे ।

राम किशान मिशान उक्त भूखण्डों को राम किशान मठ वेल्लूर जिला हावड़ा के पक्षा में हस्तान्तरित करना चाहते हैं । तदानुसार विषय विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 22-7-80 में प्रस्तुत किया गया था ॥ विषय संख्या 22॥ । उक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि " राम किशान मठ से सम्बन्धित ट्रस्ट डीड शीट मंगा ली जाये और मामले को पुनः एक्ज़ामिन कर लिया जाये तथा मामले पर विधिक राय भी ले ली जाये । "

उपरोक्त निर्णय के अनुसार राम किशान मिशान से रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन्स आफ राम किशान मिशान तथा रूल्स ऐण्ड रेगुलेशन्स आफ राम - किशान मठ मंगायें गये । राम किशान मिशान के समस्त उद्देश्य अनुलग्नक "क" में दिये हुए हैं तथा राम किशान मठ के समस्त उद्देश्य अनुलग्नक "छा" में दिये हुए हैं ।

उक्त विषय में वीफ़ स्टेन्डिंग काउन्सिल की राय प्राप्त की गई जो अनुलग्नक "ग" में दी हुई है ।

विधिक राय के अनुसार उक्त भूखण्डों का हस्तान्तरण राम-किशान मठ के पक्षा में करने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि दोनों की संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य एक से ही हैं । राम किशान मठ के पक्षा में प्रेशा डीड उन्ही उद्देश्यों के लिये निष्पादित किया जायेगा जिसके लिये कि राम किशान मिशान को किया गया था ।

यह विषय शासन को भी भेजा गया था तो शासन ने अपने पत्र दिनांक 19-5-80 द्वारा सूचित किया था कि यदि राम किशान मिशान पट्टे को समर्पित कर देते हैं तो उक्त भूमि को पुनः राम किशान मठ को उसी प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन जो प्राधिकरण व राम किशान मिशान को मान्य हों, तथा जो उक्त एवं नियमानुसार हों, पट्टे पर दिये जाने पर कोई विधिक कठिनाई नहीं होगी ।

अतः प्राधिकरण कृपया उक्त विषय पर निर्णय लेने का कष्ट करे ।

XXXXXXXXXXXX

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE RAMAKRISHNA MISSION

2. The objects of the Association are:-
- a. To impart and promote the study of the Vedanta and its principles as propounded by Sri Ramkrishna and practically illustrated by his own life and of Comparative theology in its widest form.
 - b. To impart and promote the study of the arts, science/ Industries.
 - c. To train teachers in all branches of knowledge above mentioned and enable them to reach the masses.
 - d. To carry on educational work among the masses.
 - e. To establish, maintain, carry on and assist schools, college, universities, orphanages, workwhops, laboratories, hospitals, dispensaries, houses for the infirm the invalid and the afflicted, famine-relief works and other educational and/or charitable works and institutions of a like nature.
 - f. To print and publish and to sell or distribute, gratuitously or otherwise, journals, periodicals, books or leaflets that the Association may think desirable for the promotion of its objects.
 - g. To carry on any other work which may seem to the Association capable of being conveniently carried on in connection with and calculated directly or indirectly to promote any of the before mentioned objects.
 - h. To purchase, take on lease or in exchange, hire or otherwise acquire property, movable or immovable, and any rights or privileges which may be deemed necessary or convenient for the purposes of the Association and to improve, develop, manage, sell, lease, mortgage, dispose of, turn to account or otherwise deal with all or any part of the property of the Association.
 - i. To construct, maintain or alter any house, buildings or works necessary or convenient for the purposes of the Association.
 - j. To accept any gift of property whether subject, or not to any special trusts or conditions in favour or furtherance of any of the objects of the Association.
 - k. To take such steps by personal or written appeals, Public meetings or otherwise as may from time to time be deemed expedient for the purpose of procuring contributions to the funds of the Association in the shape of donations, subscriptions or otherwise.
 - l. For the purpose of the Association to borrow and raise money in such manner as the Association may think fit.
 - m. To invest the moneys of the Association not immediately required upon such securities and in such manner as may from time to time be determined.
 - n. To undertake and execute any trust or any agency-business which may seem directly or indirectly conducive to any of the objects of the Association either gratuitously or otherwise.
 - o. For the Purpose of the Association to make, accept, endorse and execute Promissory Notes, Bills of exchange Hundis and other negotiable instruments.

PAGE NO. 52

- p. To incorporate any instructions, societies or associations having wholly or in part similar to any of those of the Association and to co-operate with any person in said of such objects.
- q. To do all or any of the above things either as principals agents, trustees, agents or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and by or through trustees, agents or otherwise and either alone in conjunction with others.
- r. To do all such things as are incidental or conducive to the attainment of the above objects or any of them.

E/R ***

PAGE NO. 53..

ENCLOSURE 'KHA'
*****RULES AND REGULATIONS OF THE RAMKRISHNA MATH
*****O B J E C T

1. The Ram Krishna Math, otherwise called the Belur Math, it is an institution of Sannyasins, established to help individuals to work out their own liberation and also to train them to serve the world in every possible way, along the lines laid down by Bhagvan Sri Ram-Krishna.
2. The activities of the Ram Krishna Math, Balur, otherwise called the Belur Math, and other Maths Associated with it and forming branch Maths or Ashramas and the various centres of work shall principals of the cult or religion of Sri Rama-Krishna Paramhansa, and to the propogation, advance-ment and furtherance of the same through publication of books, magazines, etc., and establishment of temples, prayer halls, educational, cultural and charitable institutions of various types, as also other forms of preaching and Seva, which all shall be conducted along the lines of universal principles taught by Sri Ramakrishna and exemplified by his life.

* * * * *

M/R ***

PAGE NO. 54

ENCLOSURE 'GA'
*****OPINION OF SHRI UMESH CHANDRA,
CHIEF STANDING COUNSEL

Ramkrishna Mission and Ramakrishna Math are sister institutions and their main objects and aims are common. Consequently, there cannot be and should not be any objection to the lease being granted to the Ramkrishna Math of the demised land on the same terms and conditions on surrender by Ramkrishna Mission. The Government have already in its Order dated 19th May, 1980 accorded its approval to the acceptance of the surrender and grant of fresh lease in favour of the Ramakrishna Math. The difference in some of the activities of these bodies is irrelevant since the purpose of the fresh lease in favour of the Ramkrishna Math would be the same.

Sd/Umesh Chandra
3-9-1980

M/R ***

विषय संख्या: 16

पृष्ठ संख्या: 55

विषय: इम्पलाइमेन्ट एक्सवेन्ज के पीछे रिक्त भूमि के आवन्तन के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त विषयक जनता धार्मार्थ सोसाइटी का प्रार्थना-पत्र और इस सम्बन्ध में शासनादेशा सं०: 748/37-3-49, दिनांक 3-4-80 क्रमशः पताका "क" एवं "ख" का अवलोकन करने का कष्ट करें । आख्या प्राधिकरण के निर्णय हेतु निम्न लिखित है :-

1- जनता धार्मार्थ सोसाइटी की मन्त्री श्रीमती चन्द्रवती शर्मा ने माँग की है कि इम्पलाइमेन्ट एक्सवेन्ज, चारबाग के पीछे जो मक्या योजना के अन्तर्गत है, 10500 वर्गफुट खाली भूखण्ड जनहित में एक धार्मशााला बनाने के लिये आवन्तित किया जाये ।

2- आवन्तन की शर्त वही होगी जो स्टेट हज कमेटी, लखानऊ एवं सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर-प्रदेशा, लखानऊ को उसी स्थान के पास 15000 वर्गफीट भूमि मुस्लिम मुसाफिरखाने को दी गई । इस सम्बन्ध में आख्या है कि उक्त बोर्ड को 15000 वर्गफीट भूमि रु० 150/- मात्र वार्षिक लीज़ रेंट पर 3-1-75 को मुस्लिम मुसाफिरखाना बनाने हेतु दी गई थी ।

3- जनता धार्मार्थ सोसाइटी ने भी अपने सैलरन प्रार्थना-पत्र में निवेदन किया है कि जनहित को दृष्टिकोण में रखाते हुए उनको भी उन्ही शर्तों टर्म्स ऐन्ड कन्डीशानस पर जिनपर कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुस्लिम मुसाफिरखाना बनाने के लिये पटटे पर 15000 वर्गफुट भूमि दी गई थी ।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर प्राधिकरण के निर्णयार्थ आख्या प्रस्तुत की जाती है ।

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

जनता धार्मार्थ सोसाइटी चारबाग
लखनऊ के पत्र की प्रतिलिपि

पृष्ठ सं: 56

दिनांक: 4-9-79

सेवा में,

श्रीमान माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ ।

विषय: धार्मशाला हेतु ज़मीन, ज़मीन नगर महापालिका विकास विभाग
लखनऊ की है ।

मान्यवर,

निवेदन है कि एक ज़मीन इम्प्लाइमेंट एक्सवेन्ज दफ्तर के पीछे
है यहाँ पर कुछ लागों को प्लॉट दिये जा चुके हैं और उस ज़मीन में 15000
वर्ग फुट , जो कि भूतपूर्व माननीय मुख्य मन्त्री, श्री हेमवती नन्दन
बहुगुणा जी ने मुसाफिरखाना को दी थी, जिसपर उस समय मुसलिम-
मुसाफिरखाना तैयार है और उसमें केवल मुसलमानों को ठहरने की सुविधा
दी जाती है ।

यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन और रोडवेज़ होने की वजह से
लाखों यात्री आते हैं जिनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है ।

प्राथिनी जिस ज़मीन को चाहती है, वह 10500 क्विफुट है,
जिसका नक्शा आवेदन पत्र में संलग्न है ।

प्राथिनी एक समाजसेवी महिला है, जिसने सन् 62 में चीन युद्ध
के समय अपने सोने के आभूषण सरकार को समर्पित कर दिये थे ।

प्राथिनी की एक रजिस्टर्ड धार्मार्थ सोसाइटी है, जिसका नाम
जनता धार्मार्थ सोसाइटी है, जिसकी नियमावली आवेदन-पत्र के साथ
संलग्न है । प्राथिनी इस सोसाइटी की संरक्षक है और यह ज़मीन उन्ही
शर्त और कन्डीशन्स पर चाहती है जिन शर्त और कन्डीशन्स पर
मुस्लिम मुसाफिरखाना को ज़मीन दी गई है । जिस पर यह सोसाइटी
ग़रीबों के लिये धार्मशाला का नव निर्माण करायेगी ।

मुझे पूर्ण आशा है कि सभी मन्त्री, विधायक प्राथिनी के
इस कार्य में पूर्ण योगदान प्रदान करेंगे और प्राथिनी तथा उसकी सोसाइटी
इसकी आभारी रहेगी ।

भावदीय,

ह0 चन्द्रवती

संरक्षक

जनता धार्मार्थ सोसाइटी
चारबाग, लखनऊ ।

एम/आरxxx

विज्ञाप संख्या-17

तत्काल विकास प्राधिकरण के विद्यार्थी छात्रा

विज्ञाप: अतीव संशोधन में तीजरेण्ड के विद्यार्थी के सम्बन्ध में तत्काल विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या-5 पर दिये निर्णयानुसार यदित उपसमिति की रिपोर्ट पर विचार ।

तत्काल विकास प्राधिकरण के अपनी बैठक दिनांक 28-9-79 के प्रस्ताव संख्या -5 के अन्तर्गत तीजरेण्ड के विद्यार्थी के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हेतु एक उप समिति का क गठन किया था, जिसके सदस्य उपाध्यक्ष, तत्काल विकास प्राधिकरण, श्री हावेन्द्र शाहा निबन्ध, सदस्य एवं श्री एस.पी.शुक्ला वित्त-सचिव थे। उक्त उपसमिति द्वारा तीजरेण्ड के विद्यार्थी के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट की गई है, वह प्राधिकरण के समक्ष विद्यार्थी एवं निर्णयार्थी प्रस्तुत है ।

उपसमिति की रिपोर्ट

तीजरेण्ड के सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण, काठपुर विकास प्राधिकरण नाजिमाबाद विकास प्राधिकरण एवं हाउसिंग बोर्ड में प्रचलित तीजरेण्ड की दरों का अवलोकन किया गया जो निम्न प्रकार है:-

काठपुर विकास प्राधिकरण:-

₹10,000/- मूल्य के प्रीमियम तक ₹05/- वार्षिक इससे अधिक प्रीमियम पर ₹010/-वार्षिक तीजरेण्ड

नाजिमाबाद विकास प्राधिकरण

समस्त पाठिका सीमा के अन्दर बाहर के ओर पर निम्न तीजरेण्ड होगा:-

₹05/-	7	प्रति 100 वर्ष मज	प्रथम 16 वर्ष हेतु
₹010/-		प्रति 100 वर्ष मज	अगले 15 वर्ष हेतु
₹015/-		प्रति 100 वर्ष मज	30 वर्ष समाप्त लेपकता
₹020/-		प्रति 100 वर्ष मज	60 वर्ष के बाद

दिल्ली विकास प्राधिकरण

प्लान की रजिस्ट्री के उपरान्त प्रथम पांच वर्ष तक एक वार्षिक एवं तदुपरान्त प्रीमियम का 2.5 प्रतिशत वार्षिक तीज रेण्ड ।

हाउसिंग बोर्ड:-

प्लान के प्रीमियम का 1.25 प्रतिशत वार्षिक तीज रेण्ड ।

उपर्युक्त दरों पर विचार विमर्श के उपरान्त यह तय हुआ कि वर्तमान समय में तत्काल विकास प्राधिकरण द्वारा चार्ज किये जा रहे मूल्य के तीज रेण्ड

। 2 ।

की दर निर्धारित है। विद्युत विद्युत प्राधिकरण के निर्धारित उपरोक्त विद्युत प्राधिकरणों एवं हाउसिंग बोर्ड द्वारा लागू तीसरे रेट की दरें तत्काल विद्युत द्वारा लागू तीसरे रेट की दरों से गुरुतम है।

नमः यह विवरण दिया गया कि तत्काल विद्युत प्राधिकरण में विद्युत तिथित करें रहना उचित होगा ।

प्रथम 30 वर्ग	-	प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत
द्वितीय 30 वर्ग	-	प्रीमियम का 1.0 प्रतिशत
तृतीय 30 वर्ग	-	प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत

यह सभी विवरण दिया गया कि उपरोक्त दर के जो तीसरे रेट की वास्तविकता विद्युत है, उसे अपने प्रांत स्वयं का राजस्व - रूप दर प्राप्त करें ।

उपरोक्त प्रस्तावित दरें का भी प्रीमियम का । , तिथित किया जा रहा है , उस तिथि से रिप्राजेन्टिव रेट के लागू की जाएं तथा तीसरे रेट की उपरोक्त प्रस्तावित दरें सभी प्रकार के मजदूरों पर लागू कर के लागू की जाएं ।

- : 0 :-

विषय संख्या: 18

पृष्ठ सं०: 59

-:०:- लखनऊ विकास प्राधिकरण समिति के समक्ष विचारार्थ आख्या -:०:-

विषय:- विकास प्राधिकरण के किराये पर दिये गये भावनों का अनुरक्षण।

.....

नगर महापालिका/विकास प्राधिकरण ने अपने काल में लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों ट्रेस्ट एवं नजूल के मदों से तैतिस कालोवियों बनवायी है, जिसमें सभी प्रकार के लगभग 2,700 भावनों हैं।

ये भावनों 15-20 वर्ष पूर्व के बने हैं अभी हाल की वर्णों से उक्त सभी भावनों की हालत काफी खराब हो चुकी है तथा निरीक्षण कराने पर बहुत से ऐसे भावनों का मरम्मत पाये गये जिन्हें गिराकर दुबारा बनाना पड़ेगा। आवंटियों द्वारा इन भावनों की विस्तृत मरम्मत हेतु आये दिन दबाव दिया जाता है और उनकी इच्छा अनुसार कार्य न होने पर शिकायतें निरन्तर बनी रहती हैं। इस स्थिति को देखते हुए भावनों की मरम्मत कराने में काफी धन की आवश्यकता पड़ेगी जोकि लगभग 3-4 वर्षों के किराये से अधिक होगी।

1979-80 में किराये की माँग तथा वसूली का विवरण:-

भावनों की संख्या	माँग	वसूली	अवशेष
1	2	3	4
2652	13,76,390	6,34,642.43	19,28,709.73

मरम्मत पर व्यय का विवरण :-

वर्ष	लागत में
1977-78	2.38
1978-79	1.93
1979-80	5.46
1980-81 मह अगस्त तक	2.34

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण ने निम्न स्टाफ शीर्षाधिक स्तर से व्यक्त रहते हैं-अधिकांसी अभियन्ता 11, सहायक अभियन्ता 12, अवर अभियन्ता 13, सुपरवाइजर 13, गैर बेलदार 40, जिसमें की कांसेन्टर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, एवं मेसिन आदि सम्मिलित हैं।

बहुत से कारणों से अनेक प्रभावशाली लोगों के भावनों के अनुरक्षण पर व्यय हो जाता है और बहुत से भावनों की वार्षिक मरम्मत इस कारणसे नहीं हो पाती है। नये पंचों लगाने की माँग बराबर आती रहती है, प्रभावशाली व्यक्तियों के यहाँ लगाये भी जाते हैं। रेंट एक्ट में यह प्राविष्टान है कि दो माह के किराये क्लियर की जाय। किन्तु दो माह की धन राशि के बराबर छुट इस अनुबन्ध के साथ दी जाय कि किराये दार की गयी मरम्मत का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करे। यही प्रक्रिया महापालिका के भावनों पर लागू कराना उचित होगा।

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
8-10-80 जो आयुक्त, लखानऊ मण्डल के कार्यालय-
कक्षा में पूर्वान्ह 10-30 बजे हुई का कार्य-वृत्त

x=x=x=x=x=x=x

उपस्थित:

- | | | |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री गंगा राम | आयुक्त, लखानऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष, लखानऊ विकास प्राधिकरण |
| 2- | श्री बी०जे०छा०दायजी | आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश
शासन, आवास एवं पुर्नवास
विभाग, विधान भवन, लखानऊ । |
| 3- | श्री सुरेन्द्र सिंह पांगती | उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण
एवं प्रशासक, नगर महापालिका,
लखानऊ । |
| 4- | श्री आदित्य कुमार रस्तोगी | जिलाधिकारी, लखानऊ । |
| 5- | श्री जयन्ती प्रसाद दुबे | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
| 6- | श्री ओ०पी०विश्वनोई | मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश जलनिगम, लखानऊ । |

x=x=x=x=x=x=x

विशेष आमन्त्रित

- | | | |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | श्री अरुणा कुमार पचौरी | मुख्य वास्तुविद नियोजक,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखानऊ । |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

x=x=x=x=x=x=x

अन्य उपस्थित:

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 1- | श्री शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी | सचिव, लखानऊ विकास प्राधिकरण,
लखानऊ । |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|

x=x=x=x=x=x=x

विषय संख्या: 1

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
22-7-80 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण ।

पारित प्रस्ताव:

लखानऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक
22-7-80 की कार्यवाही की पुष्टि की गयी ।

विषय संख्या: 2

4:1

ट्रान्सपोर्ट नगर के अन्तर्गत उपलब्ध भूखण्डों के
बिक्रय हेतु रजिस्ट्रेशन तथा प्रार्थनापत्रों की
स्कूटनी के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

निर्णय लिया गया कि ट्रान्सपोर्ट नगर के बारे
में 25-10-80 को पुनः बैठक बुलाकर विचार-
विमर्श कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 2:6

पारित प्रस्ताव:

लक्ष्मण टीले के पीछे विकास प्राधिकरण के अतिथि-गृह के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि लक्ष्मण टीले के पीछे विकास प्राधिकरण का अतिथि-गृह न बनाकर वहाँ पार्क बना दिया जाये ।

अतिथि-गृह न बनाने के बारे में सदस्यों का मत था कि उस स्थान पर अतिथि-गृह उपयुक्त न होगा ।

विषय संख्या: 3

पारित प्रस्ताव:

लखनऊ विकास प्राधिकरण की दिनांक 30-9-80 तक की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति आख्या ।

सचिव, आवास उत्तर प्रदेश शासन ने प्राधिकरण की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति पर बड़ा क्षोभा व्यक्त किया और सुझाव दिया कि सीमेन्ट के अभाव में भूखण्ड तथा साइट एवं सर्विसिज़ के प्लॉट विकसित कर बेच दिये जायें तथा धान के बारे में नई योजनाएँ बनाई जायें एवं एल0आई0सी0 तथा हडको को प्रस्तुत की जायें । व्यवसायिक भूखण्डों को विभाजित करके आवन्टित कर दिया जाये । विशोण बल साइट ऐण्ड सर्विसिज़ तथा दुर्बल वर्ग के मकानों के बनाने के ऊपर दिया गया । प्राधिकरण का मत है कि एल0आई0जी0, एम0आई0जी0 तथा एच0आई0जी0 भावन अभी न बनवाये जायें ।

निर्माण की गति मन्द होने के बारे में सर्व-सम्मति से चिन्ता व्यक्त की गयी ।

विषय संख्या: 4

पारित प्रस्ताव:

विस्थापितों को पुनर्वासित करने के लिये गठित उप-समिति की रिपोर्ट ।

निर्णय लिया गया कि समस्त योजनाओं के विस्थापितों से कहा जाये कि वे किसी कालोनी के भावनों के लिये रजिस्ट्रेशन करा लें तथा विस्थापितों की लिस्ट बना ली जाये और उनके बारे में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्णय ले लें जो प्राधिकरण का निर्णय होगा ।

विषय संख्या: 5

पारित प्रस्ताव:

अलीगंज सड़क एवं नूर प्रसार योजना के अन्तर्गत नरेन्द्र नगर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की तथाकथित भूमि के सम्बन्ध में ।

इस सोसाइटी के बारे में विश्वास से वार्ता हुई । नरेन्द्र नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के प्रतिनिधियों को भी सुना गया तथा निर्णय लिया गया कि अल्हापुरी गृह निर्माण सोसाइटी के बारे में लिये गये निर्णय एवं शासना-देश के अनुसार पूर्ण जानकारी देते हुए स्पष्ट टिप्पणी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या:6

नवखानस मार्केट के सन्निकट चिड़िया बाजार वृ
छोटा बाजार की भूमि के कुछ भाग को अर्जन
से मुक्त करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि स्थल का
निरीक्षण पुनः किया जाये तथा यथा-स्थिति
से अवगत कराते हुए आख्या आगामी बैठक में
प्रस्तुत की जाये ।

विषय संख्या:7

अलीगंज योजना के सेक्टर "एफ" कपुरथला बाग
स्थित भूखण्डों पर एच0आई0जी0 तथा
एम0आई0जी0 भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

7:1

विचारोपरान्त प्राधिकरण ने भूखण्डों को
निस्तारित करने की अनुमति प्रदान की । साथ
ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि 250
वर्गफिट से बड़े भूखण्ड नीलाम द्वारा निस्तारित
किये जायें तथा छोटे भूखण्डों को आवन्तन
पध्दति से निस्तारित किया जाये ।

7:2

ले-आउट प्लान को देखाने के बाद निर्देशा दिया
गया कि सबसे बड़े भूखण्ड के आकार 50' x 100'
के स्थान पर 45' x 100' तथा 40' x 80'
के भूखण्डों के आकार 32' x 80' कर दिये जायें
ताकि अधिक से अधिक भूखण्ड आवन्तन पध्दति
के अर्न्तगत आ जायें ।

विषय संख्या:8

अलीगंज योजना के प्रस्तावित कामशियल क्षेत्र
नेवरहुड शापिंग सेन्टर में विभिन्न संस्थाओं
को "कॉ-सेन्टर" बनाने हेतु भूमि आवन्तन के
सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

पुक्त विषय पर विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श
किया गया तथा निर्णय लिया गया कि नेवरहुड
शापिंग सेन्टर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार
पर प्रत्येक कालोनी में जहाँ विकास प्राधिकरण
आवश्यक समझे विकसित किया जाये । यह भी
अनुमोदित किया गया कि इन व्यवसायिक क्षेत्रों
में विभिन्न विभागों को कार्यालय छोलने
के लिये स्थल अवश्य दिये जायें जिससे प्रत्येक
आवासीय कालोनी में अपना कार्य क्षेत्र विकसित
हो और शहर के मध्य भाग में कार्यालय भवनों
पर जो ट्राफिक का दबाव पड़ रहा है वह न पड़े ।
अन्य सुविधाओं के लिये भी आवासीय कालोनियों
में स्थल आरक्षित किया जाये । तथा पुलिस,
फ़ायर ब्रिगेड तथा बिजली आदि के लिये स्थल
दिया जाये । प्रस्तावित प्रतिबन्ध भी मान
लिया गया ।

विषय संख्या: 9

लखनऊ शहर में सिनेमागृहों के स्थापित करने के सम्बन्ध में दिये गये प्रतिबन्धों के सम्बन्ध में निर्णय ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि महायोजना स्वीकृत हुए काफ़ी समय व्यतीत हो चुका है । अतः इसे पुनः मूल्यांकन करने एवं जोनल प्लान बनाने में क्या प्रगति हुई है, पर विस्तृत नोट आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । यह निर्णय विषय पर विशद रूप से चर्चा के उपरान्त लिया गया ।

विषय संख्या: 10

तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र की भूमि को आवासीय क्षेत्र में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक को सुना गया तथा आवास एवं विकास परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया एवं तालकटोरा औद्योगिक क्षेत्र में भू-उपयोग परिवर्तन की संस्तुति की गई ।

विषय संख्या: 11

उपाध्यक्ष एवं सचिव के वैयक्तिक सहायक के पदों के सृजन के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

यह सुझाव आया कि स्थानीय निकायों के बारे में एक आयोग बैठा है । अतः उसकी रिपोर्ट के आने के बाद इस पर कार्यवाही की जाये । अभी इसपर कार्यवाही की जानी उचित नहीं है ।

विषय संख्या: 12

लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनसम्पर्क समिति एवं प्रचार कार्यों हेतु आवश्यक पदों का सृजन ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि चूकें विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है अतएव कोई भी नये पद सृजित करना उपयुक्त न होगा ।

विषय संख्या: 13

लखनऊ विकास प्राधिकरण के पेन्शन नियमों के अन्तर्गत पेन्शन हेतु वीस वर्ग की अनिवार्य सेवा अवधि से मुक्त प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम नियम तथा उप-नियम बना लिये जायें । तथा उसमें उक्त प्रस्ताव का भी समावेश कर लिया जाये ।

विषय संख्या: 14

लखानऊ विकास प्राधिकरण में दो पुरानी स्टाफ-कार के बदले में दो नई एम्बेस्डर कारों का क्रय ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि पहले सभी पुरानी गाड़ियों का नियमानुसार आयुक्त, परिवहन के कार्यालय से अनुपयुक्त घोषित कराकर निस्तारण कर दिया जाये । तदुपरान्त आदेश प्राप्त करके नई गाड़ियों का क्रय किया जाये ।

विषय संख्या: 15

राम कृष्ण मिशान को आवन्तित भूखण्ड संख्या- बी-81, बी-82, बी-82/1 तथा बी-82/2 के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

उक्त विषय पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि चूकि भूमि पहले आवन्तित है, दोनों संस्थाओं के उद्देश्य एक ही हैं केवल नाम बदलने का ही प्रस्ताव है इसलिये इसे स्वीकार किया जाता है ।

विषय संख्या: 16

इम्पलाइमेन्ट इक्सचेन्ज के पीछे की भूमि धर्म-शाला हेतु आवन्तित करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

समायाभाव के कारण विषय स्थागित किया गया ।

विषय संख्या: 17

अलीगंज योजना के अन्तर्गत भूखण्डों के लीज़रेन्ट कम करने के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उप-समिति की अनुशंसा तदनुसार स्वीकार की जाये ।

विषय संख्या: 18

लखानऊ विकास प्राधिकरण के किराये पर दिये गये भावनों के सम्बन्ध में ।

पारित प्रस्ताव:

विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि यह विषय विस्तृत रिपोर्ट के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये । पिछले किराये की वसूली के नियमों का पता लगाया जाये तथा यह भी देखा लिया जाये कि मकानों पर दो माह से ज्यादा किराया अवशोषण तो नहीं है ।

ह0 शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी
§ शुकदेव प्रसाद त्रिपाठी §
सचिव
लखानऊ विकास प्राधिकरण
ल ख ा न ऊ

अ नु मो दि त
= = = = =
ह0 गंगा राम
§ गंगा राम §
आयुक्त
लखानऊ मण्डल एवं
अध्यक्ष
लखानऊ विकास प्राधिकरण
ल ख ा न ऊ